[2020] 14 एस. सी. आर. 45

झारखंड राज्य और ओ. आर. एस.

वी.

ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। , रांची और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं। 3860-3862 2020 का)

1 दिसंबर, 2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 - एस. 9 झारखंड औद्योगिक

नीति, 2012-औद्योगिक नीति 2012 को राज्य सरकार द्वारा पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क के 50 प्रतिशत के भुगतान से छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया गया था।

उत्पादन की तारीख के अगले वित्तीय वर्ष से ही विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रतिपूर्ति/सब्सिडी आदि का भुगतान।

. यह था।

नीति में यह भी निर्धारित किया गया है कि औद्योगिक नीति की शर्तों को लागू करने वाली अधिसूचनाएं राज्य सरकार के विभागों द्वारा एक महीने की अवधि के भीतर जारी की जाएंगी-राज्य सरकार के विभाग एक महीने की समय सारिणी का पालन करने में विफल रहे-आखिरकार, राज्य सरकार ने 08.01.2015 पर एक छूट अधिसूचना जारी की, लेकिन इसे जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी बना दिया-प्रतिवादी द्वारा लिखित याचिका-उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादी ने दावा किया कि अधिसूचना में इसे संभावित बनाने वाले खंड को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह औद्योगिक नीति 2012 द्वारा रखे गए अभ्यावेदन के विपरीत था-वैकल्पिक रूप से, प्रतिवादी ने एक निर्देश की मांग की कि वह इसका हकदार होगा।

अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क से छूट के लिए-उच्च न्यायालय ने कहा कि देरी का कोई विशिष्ट कारण नहीं था और 'लेकिन राज्य अधिकारियों के सुस्त दृष्टिकोण के लिए' छूट औद्योगिक नीति 2012 जारी होने के एक महीने के भीतर जारी की जानी चाहिए थी-उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.01.2015

इसका संभावित प्रभाव से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए और इसे संभावित बनाने वाले खंड को निरस्त करना होगा अधिसूचना को औद्योगिक नीति 2012 (1 अप्रैल 2011) की तारीख से प्रभावी माना गया था-वित्त वर्ष के लिए जमा किए गए बिजली शुल्क 2011-12,2012-13 और 2013-14 के खिलाफ समायोजित करने का निर्देश दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिजली शुल्क के प्रति प्रत्यर्थी का भविष्य का दायित्व-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः राज्य सरकार ने यू/एस के तहत एक वैधानिक अधिसूचना जारी की। 9 , लेकिन आई. डी. 1 के प्रभाव से संभावित रूप से ऐसा करने से औद्योगिक नीति 2012 में किए गए प्रतिनिधित्व की प्रकृति को नकार दिया गया-निश्चित रूप से इसका कोई औचित्य नहीं है।

अधिसूचना जारी करने में देरी के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नीति या जनहित के कारणों की पेशकश की गई है क्योंकि राज्य ने इसके लिए कोई औचित्य नहीं दिया है।

अधिसूचना जारी करने में देरी, या इसके सार्वजनिक हित में होने के कारण, राज्य द्वारा इस तरह की कार्रवाई मनमाना है और Art.14 का उल्लंघन है-तत्काल मामले में, प्रतिवादी है

बिजली शुल्क से छूट/कटौती का हकदार-हालांकि, प्रतिवादी वित्त वर्ष 2011-12 के लिए छूट/कटौती का हकदार नहीं होगा-औद्योगिक नीति 2012 के संदर्भ में, पात्रता उत्पादन शुरू होने के बाद के वित्तीय वर्ष से आती है।

सिद्धांत/सिद्धांत-वचन संबंधी अवरोध-उत्पत्ति और विकास पर चर्चा की गई। सिद्धांत/सिद्धांत-वादा रोकने और वैध अपेक्षा-चर्चा के बीच अंतर।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः झारखंड राज्य ने उम्मीदों को तोड़ा

1. वर्तमान मामले में, यह न्यायालय राज्य की प्रस्तुति में किसी भी सार को समझने में असमर्थ है जिसका आग्रह किया गया था

उच्च न्यायालय के समक्ष बचाव। न केवल राज्य में

वर्तमान मामले में एक गंभीर प्रतिनिधित्व है, यह

प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने की अपनी घोषित इच्छा पर आधारित किया गया था राज्य में औद्योगीकरण। नीति दस्तावेज में लिखा थाः

प्रोत्साहनों की प्रकृति;

((i)

वह अवधि जिसके दौरान प्रोत्साहन दिए जाएँगे

((ख)

उपलब्ध; और झारखंड राज्य बनाम। ब्रह्मपुत्र धातुएँ

लिमिटेड।

((iii) वह समय सीमा जिसके भीतर राज्य सरकार द्वारा इसके माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

औद्योगिक नीति 2012 को लागू करने के लिए विभाग। [पैरा 43] [78-एफ-एच]

2. राज्य द्वारा उपरोक्त शर्तों में एक गंभीर प्रतिनिधित्व रखने के बाद, राज्य के भीतर औद्योगिक इकाइयों को उनके वैध अधिकारों से वंचित करना स्पष्ट रूप से अनुचित और मनमाना होगा।

एक संप्रभु अपनी इच्छा पर उपहार सौंपता है। इसकी नीतियाँ वैध अपेक्षाओं को जन्म देती हैं कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में जो कुछ भी प्रस्तुत करता है उसके अनुसार कार्य करेगा। अपने सभी कार्यों में, राज्य निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य है। यह एक प्राथमिक है मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी की आवश्यकता जिसे संविधान का अनुच्छेद 14 अपनाता है। निजी नागरिकों और निजी व्यवसाय की पात्रता से वंचित होना सार्वजनिक हित में आधारित आवश्यकता के समानुपाती होना चाहिए। राज्य शक्ति की इस अवधारणा को इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक सुसंगत पंक्ति में मान्यता दी गई है। [पैरा 45] [79-सी-एफ] [2020] 14 एस. सी. आर.

4. इसलिए, यह स्पष्ट है कि राज्य ने औद्योगिक नीति 2012 के तहत प्रतिवादी और इसी तरह स्थित औद्योगिक इकाइयों को एक अभ्यावेदन दिया था। यह प्रतिनिधित्व दिया गया

उनकी ओर से एक वैध अपेक्षा को बढ़ाते हुए, कि उन्हें अगले पांच वर्षों के लिए बिजली शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट/कटौती की पेशकश की जाएगी। हालांकि, निर्धारित समय के भीतर एक अधिसूचना जारी करने में विफलता और केवल संभावित रूप से छूट देने के कारण, राज्य में अपेक्षा और विश्वास का उल्लंघन हुआ। चूंकि राज्य ने अधिसूचना जारी करने में देरी के लिए कोई औचित्य नहीं दिया है, या कारण प्रदान किए हैं

क्योंकि यह जनहित में है, राज्य द्वारा इस तरह की कार्रवाई मनमाना है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। [पैरा 46] [80-ए-सी]

5. संकीर्ण मुद्दा यह है कि क्या प्रत्यर्थी बिजली शुल्क से छूट/कटौती का हकदार है जिसका सकारात्मक जवाब दिया जाता है। हालाँकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रतिवादी वित्त वर्ष के लिए छूट/कटौती का हकदार नहीं होगा।

2011-12 . औद्योगिक नीति 2012 के खंड 35.7 (बी) के संदर्भ में, पात्रता निम्नलिखित वित्तीय वर्ष से आती है -

उत्पादन की शुरुआत। उत्तरदाता ने 17 अगस्त 2011 को उत्पादन शुरू किया। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए करनी होगी। अंत में, यह न्यायालय उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत है कि प्रतिवादी बिजली शुल्क से छूट का हकदार था, हालांकि इस निर्णय में बताए गए कारणों से। इसके अलावा, दी गई राहत एफवाईएस 2012-13 और 2013-14 तक ही सीमित रहेगी। [पैरा 51] [85-बी-डी]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम बनाम एस. रघुनाथन (1998) 7 एससीसी 66: [1998] 1 पूरक। एससीआर 156; मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड बनाम भारत संघ (2012) 11 एससीसी 1: [2012] 7 एससीआर 644; भारत संघ बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल पी. के. चौधरी (2016) 4 एस. सी. सी. 236: [2016] 2 एस. सी. आर. 426; भारतीय खाद्य निगम बनाम कामधेनू

पशु आहार उद्योग (1993) 1 एस. सी. सी. 71: [1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. 322; नोएडा उद्यमी संगठन। बनाम नोएडा (2011) 6 एससीसी 508: [2011] 8 एस. सी. आर. 25; इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (2011)

8 एससीसी 161: [2011] 9 एस. सी. आर. 146 पर भरोसा किया गया।

झारखंड राज्य बनाम। ब्रह्मपुत्रा मेटाली

लिमिटेड।

बिहार राज्य बनाम। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड (2010) 3 एस. सी. सी. 274 [2010] 1 एस. सी. आर. 928 मनुएलसन होटल

प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य (2016) 6 एस. सी. सी. 766: [2016] 3 एस. सी. आर. 718; मोतीलाल पदमपत सागर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1979) 2 एससीसी 409: [1979] 2 एस. सी. आर. 641; मध्य प्रदेश राज्य बनाम भाईलाल भाई एयर 1964 एससी 1006: [1964] एस. सी. आर. 261; सुगनमल बनाम। मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1740; मफतलाल

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ (1997) 5 एससीसी 536: [1996] 10 पूरक। एससीआर 585; अमरजीत सिंह अहलूवालिया (डॉ) बनाम पंजाब राज्य, (1975) 3 एससीसी 503: [1975] 3 एस. सी. आर. 82; सुखदेव सिंह बनाम भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी, (1975) 1 एस. सी. सी. 421: [1975] 3 एस. सी. आर. 619 (न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू की सहमति) और रमण दयराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, (1979) 3 एस. सी. सी. 489: [1979] 3 एस. सी. आर. 1014; पटना उच्च न्यायालय बनाम मदन मोहन प्रसाद (2011) 9 एस. सी. सी. 65 [2011] 13 एस. सी. आर. 972; दयाल सिंह बनाम भारत संघ (2003) 2 एस. सी. सी. 593 [2003] 1 एस. सी. आर. 714; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम डॉली दास (1999) 4 एस. सी. सी. 450-संदर्भित।

क्राब वी। अरुण डी. सी. [1976] 1 Ch179 27; कॉम्बे बनाम। कॉम्बे [1951] 2 के. बी. 21529; वायवर्न डेवलपमेंट, री, [1974] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1097 टंगस्टन इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड बनाम टूल मेटल

विनिर्माण कंपनी। लिमिटेड, [1955] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 761, बेयर्ड टेक्सटाइल्स होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम मार्क्स एंड स्पेंसर पीएलसी। , [2002] 1 ऑल ईआर (कॉम) 737, वाल्टन्स स्टोर्स (इंटरस्टेट) लिमिटेड बनाम माहेर, (1988) 164 सीएलआर 387। 30; आर बनाम उत्तर और पूर्वी डेवोन स्वास्थ्य प्राधिकरण, एक्स पी

कफलान [2001] क्यूबी 212; रेजिना (बीबी) बनाम न्यूहैम

लंदन बरो काउंसिल [2002] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 23734; विट्रेली बनाम सेटन 359 यू. एस. 535 (1959); ईस्ट ससेक्स काउंटी परिषद [2003] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 328; न्यू साउथ वेल्स के लिए महान्यायवादी बनाम क्विन (1990) 64 ऑस्ट एल. जे. आर. 327: (1990) 170 सी. एल. आर. 1; रेजिना (रिप्रोटेक (पेबशम) लिमिटेड) बनाम ईस्ट ससेक्स काउंटी काउंसिल [2003] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 328-संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ह्यूग बील, चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स (32 वां संस्करण। , स्वीट एंड

न्यायिक समीक्षा (8 वां संस्करण, थॉमसन रॉयटर्स 2018)। एम. पी. जैन और एस. एन. जैन, प्रशासनिक सिद्धांत

कानून (7 वां संस्करण, ई. बी. सी. 2013)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 1 एससीआर 928

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2016] 3 एससीआर 718

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1979] 2 एससीआर 641

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

[1964] एससीआर 261

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14 (

पै

रा 14 (

ए. आई. आर 1965 एस. सी. 1740

संदर्भित किया गया है

[1996] 10 पूरक। एससीआर 585

पै

रा 14 (

संदर्भित किया गया है

[1975] 3 एससीआर 82,

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

[1975] 3 एससीआर 619

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

[1979] 3 एससीआर 1014

पै

रा 38

संदर्भित किया गया है

[1998] 1 पूरक। एससीआर 156

उस पर भरोसा करें

पै

रा 39

[2012] 7 एससीआर 644

उस पर भरोसा करें

पै

रा 40

[2016] 2 एससीआर 426

उस पर भरोसा करें

पै

रा 41

[1992] 2 पूरक। एससीआर 322

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

[2011] 8 एससीआर 25

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

[2011] 13 एससीआर 972

पै

रा 42

संदर्भित किया गया है

[2003] 1 एससीआर 714

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

(1999) 4 एससीसी 450

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

[2011] 9 एससीआर 146

उस पर भरोसा करें

पै

रा 50

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 38

3862 2020 का

उच्च न्यायालय के 11.12.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

झारखंड सरकार ने 2019 की रिट याचिका (टी) संख्या 4274,2019 की रिट याचिका (टी) 4275 और 2019 की रिट याचिका (टी) संख्या 4320 में झारखंड राज्य बनाम.

ब्रह्मपुत्रा मेटाली

लिमिटेड।

तपेश कुमार सिंह, एएजी, आदित्य प्रताप सिंह, सुश्री भास

1 , देवाशीष भारुका श्रीमती जया भारुका, रवि भारुका,

श्री, जस्टिन जॉर्ज, सुश्री सृष्टि अग्रवाल, अधिवक्ता। एपिया के लिए

ईएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

याचिका

ए. बी.

मुद्दा यह है

कैप्टिव पावर प्लांटः विद्युत विभाग का मूल्यांकन

एस.

औद्योगिक नीति 2012

डी. ई.

बिजली शुल्क से छूट

एफ.

उच्च न्यायालय के समक्ष

वकील की प्रस्तुतियाँ

जी.

विश्लेषण

एच.

नीतिगत प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने वाला राज्य

एच. आई.

एच. 2

मोतीलाल पदमपत पर इमारत

प्रतिज्ञात्मक अवरोध-उत्पत्ति और विकास

एच. 3

बाधा से उम्मीदों तक

एच. 4

भारतीय कानून और कानूनी सिद्धांत

एच. 5

अपेक्षाएँ

राज्य द्वारा अपेक्षाओं का उल्लंघन

एच. 6

झारखंड

एच. 7

दावे का तकनीकी बचाव

आई.

निष्कर्ष

1. छुट्टी दे दी गई।

A. अपील 2. यह अपील उच्च न्यायालय के एक फैसले से उत्पन्न होती है

हाथ। उत्तरदाताओं द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए

संविधान की धारा 226, खंड पीठः

अधिसूचना तिथि के अंतिम पैराग्राफ को हटा दें।

((i)

जनवरी 2015 में राज्य सरकार द्वारा [2020] 14 एस. सी. आर. में जारी किया गया।

वाणिज्यिक कर विभाग, इसके तहत दी जाने वाली बिजली शुल्क से छूट/कटौती को संभावित प्रभाव देते हुए झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 1;

((ख)

निर्देश दिया कि अधिसूचना प्रभावी मानी जाएगी

1 अप्रैल 2011 से, जब औद्योगिक नीति 2012 थी

पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू; और

(iii) प्रत्यर्थी के इस दावे को बरकरार रखा कि वह औद्योगिक नीति 2012 में रखे गए अभ्यावेदन के संदर्भ में बिजली शुल्क से छूट/कटौती का हकदार था, और यह कि राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2012 के लिए 2011-12,2012-13 और 2013-14 के लिए छूट से इनकार करना वचनबद्धता के सिद्धांत के विपरीत था।

राज्य 11 तारीख के फैसले को चुनौती देने के लिए अपील कर रहा है

दिसंबर 2019।

B. मुद्दा

3. निर्धारण के लिए मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी मूल्यांकन की गई राशि के 50 प्रतिशत की छूट या कटौती का दावा करने का हकदार है। वित्त वर्ष के लिए बिजली शुल्क 2011-12,2012-13 और 2013-14। प्रत्यर्थी औद्योगिक नीति 2012 (16 जून 2012 को अपीलार्थी द्वारा अधिसूचित) और बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 2 की धारा 9 के तहत जारी 8 जनवरी 2015 की एक वैधानिक अधिसूचना के आधार पर अपनी पात्रता का दावा करता है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत झारखंड राज्य के लिए बिहार अधिनियम 1948 को 15 नवंबर 2000 से अपनाया गया था।

सी. बिजली शुल्क के लिए कैप्टिव पावर प्लांट मूल्यांकन

4. प्रतिवादी को 31 मई 2013 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने का प्रमाण पत्र दिया गया था। प्रमाणपत्र में लिखा है कि स्पंज आयरन और माइल्ड स्टील बिलेट्स की एकीकृत विनिर्माण इकाई ने प्रतिवादी द्वारा स्थापित 20 मेगावाट क्षमता के कैप्टिव थर्मल प्लांट के साथ मिलकर 17 अगस्त 2011 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। बिहार (झारखंड) विद्युत शुल्क नियम 1949 3 के नियम 4 के तहत 22 नवंबर 2011 को प्रत्यर्थी को पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया था, जिसके अनुसार वह वितरण और/या वितरण के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

1 " औद्योगिक नीति 2012 "

2 " बिहार अधिनियम 1948 " 3 " बिहार नियम 1949 "झारखंड राज्य बनाम।

ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

1 अक्टूबर 2011 से ऊर्जा का उपयोग। के आधार पर

उत्तरदाता द्वारा प्रपत्र-III में प्रस्तुत किए गए प्रपत्र, जिन्हें नियम 9 के साथ पढ़ा जाता है।

- नियम 1949, मूल्यांकन आदेश मूल्यांकन द्वारा पारित किए गए थे

9 दिसंबर 2014 को वित्त वर्ष 2011-12 के लिए, 18 एम. बी. आर. 2015 को वित्त वर्ष 2012-13 के लिए और 16 दिसंबर 2016 को वित्त वर्ष 2013-14 के लिए।

D. औद्योगिक नीति 2012

5. औद्योगिक नीति 2012 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।

जून 2012। औद्योगिक नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं

दौरा करने की आवश्यकता हैः

खंड 32.10 ने भुगतान से छूट प्रदान की

((i)

50 स्व-उपभोग या कैप्टिव उपयोग के लिए स्थापित कैप्टिव बिजली संयंत्रों के लिए पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क का प्रतिशतः

" 32.10 कैप्टिव पावर प्लांट के लिए प्रोत्साहन

कैप्टिव बिजली संयंत्र स्थापित करने वाली नई या मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को अपने लिए पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क के 50 प्रतिशत के भुगतान से छूट दी जाएगी।

खपत या कैप्टिव उपयोग (यानी संयंत्र द्वारा उपयोग की जा रही बिजली के संबंध में) कमीशन "।

((ख)

खंड 35.7 (बी) में परिकल्पना की गई है कि हकदारी का पालन किया जाएगा।

उत्पादन की तारीख (डी. ओ. पी.) के बाद के वित्तीय वर्ष सेः

" 35.7 (ख) औद्योगिक इकाइयाँ इसके हकदार होंगी -

केवल अगले वित्तीय वर्ष से विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रतिपूर्ति/सब्सिडी/प्रोत्साहन का भुगतान।

डीओपी "।

खंड 38 (बी) ने निर्धारित किया कि शर्तों को लागू करने वाली अधिसूचनाएं

(iii)

राज्य सरकार के विभागों द्वारा एक महीने की अवधि के भीतर औद्योगिक नीति जारी की जाएगीः

" 38. निगरानी और समीक्षा

सभी संबंधित विभाग और संगठन

(ख)

इस नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए एक महीने के भीतर आवश्यक अनुवर्ती अधिसूचना जारी करेगा। इस नीति के कार्यान्वयन की विधिवत निगरानी [2020] 14 एस. सी. आर. द्वारा की जाएगी।

मुख्य सचिव के स्तर पर सरकार तिमाही में कम से कम एक बार, ताकि राज्य सरकार अपना दायित्व निभा सके।

इस नीति की मध्यावधि समीक्षा करें।

ई. बिजली शुल्क से छूट

6. यद्यपि औद्योगिक नीति 2012 जिसे 16 को अधिसूचित किया गया था।

जून 2012 में यह परिकल्पना की गई थी कि राज्य सरकार के विभागों द्वारा अधिसूचनाएं एक महीने के भीतर जारी की जाएंगी, क्योंकि समय-सीमा का पालन करने में विफलता हुई थी। बिजली शुल्क से छूट को प्रभावी बनाने के लिए, बिहार अधिनियम 1948 की धारा 9 के तहत एक अधिसूचना आवश्यक थी। धारा 9 छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति को मान्यता देती है।

7. बिहार नियम 1949 के नियम 6 में प्रत्येक निर्धारिती पर महीने के दो कैलेंडर महीनों के भीतर देय शुल्क का भुगतान करने का कर्तव्य लगाया गया है।

जिससे यह संबंधित है। नियम 9 में उस महीने की समाप्ति से दो कैलेंडर महीनों की अवधि के भीतर फॉर्म-III में विवरणी जमा करने की आवश्यकता है जिससे विवरणी संबंधित है।

8. चूंकि झारखंड राज्य द्वारा धारा 9 के तहत छूट की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, इसलिए एक कंपनी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी।

नाम उषा मार्टिन लिमिटेड। आखिरकार, राज्य सरकार ने 8 जनवरी 2015 को एक छूट अधिसूचना जारी की, लेकिन इसे जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी कर दिया। छूट की अधिसूचना नीचे दी गई है:

" S.O.67 दिनांक 8 जनवरी, 2015-के अनुच्छेद 32.10 के आलोक में

झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 और शक्तियों का प्रयोग करते हुए

4 " धारा 9. छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति राज्य सरकार के पास किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट देने की शक्ति होगी।

इस अधिनियम के तहत देय शुल्क से इस ओर से अधिसूचित और ऐसी छूट, ऐसी शर्तों और छूट, यदि कोई हो, के अधीन हो सकती है, जैसा कि उक्त अधिसूचना में उल्लेख किया जा सकता है। 5 नियम 6. शुल्क का भुगतान। - प्रत्येक निर्धारिती धारा 4 के तहत उससे देय शुल्क की पूरी राशि का भुगतान उस महीने के दो कैलेंडर महीनों के भीतर करेगा जिससे शुल्क संबंधित है।

नियम 9. विवरणी प्रस्तुत करना। - प्रत्येक निर्धारिती उपयुक्त को प्रस्तुत करेगा

वृत्त या उप-वृत्त के प्राधिकरण का निरीक्षण करना, जैसा भी मामला हो, उस महीने की समाप्ति से दो कैलेंडर महीनों के भीतर फॉर्म III में एक विवरणी, जिससे विवरणी संबंधित है। विवरणी को उसमें बताए गए तरीके

से सत्यापित किया जाएगा और निर्धारिती या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। जब कोई निर्धारिती एक से अधिक लाइसेंस रखता है, तो प्रत्येक लाइसेंस के संबंध में अलग-अलग विवरणी प्रस्तुत की जाएगी। 6 2014 का डब्ल्यू. पी. (टी) सं. 6008,3/4 फरवरी 2015 को तय किया गया।

झारखंड राज्य बनाम। ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपनाए गए बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त, झारखंड के राज्यपाल ने नए बिजली शुल्कों को छूट दी है। या बिजली शुल्क के 50 प्रतिशत के भुगतान से स्व-उपभोग या कैप्टिव उपयोग (संयंत्र द्वारा उपयोग की जा रही बिजली के संबंध में) के लिए कैप्टिव बिजली संयंत्र स्थापित करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ

बिजली संयंत्र के चालू होने की तिथि। यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी और झारखंड औद्योगिक नीति, 2012 के प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित अवधि तक प्रभावी रहेगी।

9. औद्योगिक नीति 2012 ने पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क पर छूट या कटौती के रूप में प्रोत्साहन की घोषणा की।

उत्पादन की शुरुआत से। यदि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति 2012 द्वारा रखे गए अभ्यावेदन के संदर्भ में एक महीने के भीतर धारा 9 के तहत अधिसूचना जारी की गई होती, तो प्रतिवादी को छूट की लगभग पूरी अवधि का लाभ मिलता।

नीति द्वारा विचार किया गया। लेकिन चूंकि 8 जनवरी 2015 की छूट अधिसूचना को संभावित बनाया गया था, इसलिए प्रतिवादी (और इसी तरह की अन्य इकाइयों) को बहुत कम अवधि के लिए बिजली शुल्क से छूट का लाभ मिलेगा। इस स्थिति का सामना करते हुए, प्रतिवादी ने अगस्त 2019 में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही शुरू की।

एफ. उच्च न्यायालय के समक्ष

10. प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी प्रस्तुतियों में, वचन रद्द करने के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए, दो राहतों या निर्देशों में से एक की मांग की। सबसे पहले, प्रतिवादी ने दावा किया कि अधिसूचना में इसे संभावित बनाने वाले खंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह औद्योगिक नीति 2012 द्वारा रखे गए अभ्यावेदन के विपरीत था। वैकल्पिक रूप से, प्रत्यर्थी ने एक निर्देश की मांग की कि वह पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क से छूट का हकदार होगा

औद्योगिक नीति 2012 के तहत परिकल्पित अवधि)। 11. उच्च न्यायालय ने राज्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखते हुए, ऊपर उल्लिखित कार्रवाई के दो पाठ्यक्रमों में से पहले को स्वीकार कर लिया

7 (2010) 3 एससीसी 274। 8 (2016) 6 एससीसी 766।

(" मनुएलसन होटल्स प्रा. लि. लिमिटेड ")। ये निर्णय मोतीलाल पदमपत सागर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यूपी 9 ("मोतीलाल पदमपत") में प्रतिपादित वचन बहिष्कार के सिद्धांत पर आधारित हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य में कैप्टिव बिजली संयंत्र स्थापित करने वाली सभी नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को स्व-उपभोग या कैप्टिव उपयोग के लिए पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ देने का वादा किया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला नहीं था कि वह इन औद्योगिक इकाइयों को लाभ देने का इरादा नहीं रखती थी, क्योंकि वास्तव में, उसने 8 जनवरी 2015 को एक अधिसूचना जारी की थी, हालांकि देर से।

12. छूट अधिसूचना जारी करने में सरकार की ओर से की गई देरी में गलती पाते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं था

देरी का विशिष्ट कारण और "लेकिन राज्य अधिकारियों के सुस्त दृष्टिकोण के लिए" छूट औद्योगिक नीति 2012 जारी होने के एक महीने के भीतर जारी की जानी चाहिए थी। विलंबित अधिसूचना का प्रभाव औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा किए गए वादे के लाभ से वंचित करना था। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह लाभ वित्त वर्ष 2011-12 से पांच साल की अवधि के लिए दिया जाना था जो वित्त वर्ष 2015-16 में समाप्त हुआ था। चूंकि छूट अधिसूचना 8 जनवरी 2015 को जारी की गई थी, इसलिए औद्योगिक नीति 2012 की परिकल्पना के अनुसार प्रतिवादी और इसी तरह की इकाइयों को पांच साल के वादे के बजाय केवल एक या दो साल के लिए लाभ प्राप्त होगा। इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय का निष्कर्ष था कि समय के भीतर छूट अधिसूचना जारी करने में राज्य की विफलता औद्योगिक इकाइयों को वह लाभ प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए जिसका वादा किया गया था और वित्त वर्ष 2011-12,2012-13 और 2013-14 के लिए इस तरह के लाभ से इनकार करना वचन बहिष्कार के सिद्धांत के विपरीत था। छूट अधिसूचना जारी करना एक मंत्रिस्तरीय अधिनियम होने के कारण, उच्च न्यायालय ने कहा कि इसे राज्य सरकार द्वारा की गई अनुचित देरी के परिणामस्वरूप इस सिद्धांत के तहत राहत प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों के रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिए। इसी तर्क पर उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 8 जनवरी 2015 को जारी अधिसूचना का संभावित प्रभाव से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए और इसे संभावित बनाने वाले खंड को निरस्त करना होगा। यह अधिसूचना औद्योगिक नीति 2012 (1 अप्रैल 2011) की तारीख से प्रभावी मानी गई थी। बिजली शुल्क 9
9 (1979) 2 एससीसी 409।

झारखंड राज्य बनाम। ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

वित्त वर्ष 2011-12,2012-13 और 2013-14 के लिए बिजली के प्रति प्रत्यर्थी के भविष्य के दायित्व के खिलाफ भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

चूंकि राशि पहले से ही जमा नहीं की गई है, लेकिन एक

भविष्य में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

13 राज्य अपील में है।

जी. वकील की प्रस्तुतियाँ

14. श्री तपेश कुमार सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता

झारखंड राज्य की ओर से कहा गया है किः

के तहत स्वीकार्य छूट/रियायत के संदर्भ में

((i)

औद्योगिक नीति 2012, उत्तरदाता को छूट के लिए दावा करने के लिए प्रपत्र-III के कॉलम 6 (iv) द्वारा आवश्यक था बिजली शुल्क के भुगतान से;

((ख)

द्वारा प्रस्तुत किए गए तीनों विवरणियों में

प्रतिवादी, केवल "सहायक उपभोग" के लिए छूट/कटौती की मांग की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया और अनुमति दी गई।

मूल्यांकन अधिकारी द्वारा;

(iii)

पहले मांगी गई छूट/कटौती के लिए दावे के अभाव में

मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी नहीं कर सकता था

प्रत्यर्थी को रियायत दी गई;

((iv) तीन मूल्यांकन आदेश दर्शाते हैं कि -

प्रत्यर्थी ने बिना किसी विरोध या विरोध के बिजली शुल्क का भुगतान किया, और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा की गई गणना

देय राशि स्वीकार की गई थी;

(v)

प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए तीन विवरणी संबंधित मूल्यांकन वर्षों में देरी हुई और

2000/- रुपये की राशि जुर्माने के रूप में लगाई गई थी।

(vi) यह निवेदन कि बिहार अधिनियम 1948 की धारा 9 के तहत अधिसूचना 8 जनवरी 2015 को देर से जारी की गई थी, प्रतिवादी के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि तीन में से दो मूल्यांकन आदेश अधिसूचना जारी होने के ग्यारह महीने और तेइस महीने बाद जारी किए गए थे। इसलिए, वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के मूल्यांकन आदेशों में, विलंबित द्वारा प्रत्यर्थी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया है।

अधिसूचना जारी; [2020] 14 एस. सी. आर.

(vii) वित्त वर्ष 2011-12 के लिए, प्रतिवादी द्वारा सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि औद्योगिक नीति 2012 की प्रासंगिक शर्तों के सही निर्माण पर, वह कानून में छूट/कटौती या समायोजन का दावा करने का हकदार नहीं है।

खंड 35.7 (बी) का दृष्टिकोण;

(viii) वह राहत जो उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है

4 फरवरी 2015 को एक अन्य समान रूप से स्थित रिट याचिकाकर्ता एर्ग ऑम्नेस का संचालन करेगा;

(ix)

2019 में, प्रत्यर्थी ने तीन रिट याचिकाएं दायर कीं

संबंधित तीन मूल्यांकन वर्ष-वित्त वर्ष 2011-12,2012-13 और 2013-14 अवधि को पार करने की दृष्टि से

सामान्य कानून के तहत सीमा की और इन उच्च न्यायालय के सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा गलती से अनुमति दी गई;

(x)

संविधान के निर्णयों में निर्धारित कानून

मध्य प्रदेश राज्य बनाम भाईलाल भाई 1 0 10 ("भाईलाल भाई") और सुगनमल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1 1 ("सुगनमल") में बेंच ने मैदान पर कब्जा बनाए रखा है।

(xi) उपरोक्त निर्णयों में कहा गया है कि धनवापसी का कोई भी दावा किया जा सकता है।

देय राशियों की वसूली के लिए वाद दायर करने के लिए सामान्य कानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर ही किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय को अपने असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 226 के तहत किसी याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए।

(xii) उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी अभिवचन के अभाव में, प्रत्यर्थी के खिलाफ कानून में एक धारणा है कि बिजली शुल्क से छूट/कटौती के रूप में दावा की गई राशि पहले ही उसके ग्राहकों को दे दी गई है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समायोजन के परिणामस्वरूप प्रतिवादी को अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध किया जाएगा। मफतलाल इंडस्ट्रीज में इस अदालत के फैसले पर रिलायंस को रखा गया था

लिमिटेड बनाम भारत संघ 1 2 ("मफतलाल इंडस्ट्रीज");

(xiii) बिहार अधिनियम 1948 की धारा 9 ए के तहत अपील का एक वैकल्पिक और प्रभावी वैधानिक उपचार उपलब्ध था।

1964 एससी 1006। 1965 एससी 1740।

7) 5 एससीसी 536।

‘ झारखंड का ई बनाम। ब्रह्मपुत्र धातु। [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

निर्धारण के आदेशों के विरुद्ध प्रतिवादी, और इसलिए

उच्च न्यायालय को सहारा लेने से इनकार कर देना चाहिए था

चूंकि प्रत्यर्थी की इकाई ने वाणिज्यिक शुरुआत की थी 17 अगस्त 2011 को उत्पादन, जबकि औद्योगिक नीति 2012 की है, प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत नहीं हो सकता है

"प्रतिवादी के पक्ष में पीछे की ओर" विस्तारित किया गया।

दूसरी ओर, लेंट की ओर से और उच्च न्यायालय के फैसले के समर्थन में इन प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए,श्री भारुका, विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह कियाः

छूट देने में राज्य सरकार का कार्य

राज्य द्वारा अपने वचन में किए गए वादे का अपमान औद्योगिक नीति 2012। निर्भरता रखने में उच्च न्यायालय

प्रोमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत पर सही ढंग से भरोसा किया गया है

मोतीलाल पदमपत में इस न्यायालय के फैसलों पर

(ऊपर), कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड (ऊपर) और मनुएलसन

होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर);

जहाँ तक प्रथम प्रतिवादी द्वारा छूट के दावे का संबंध हैः

छूट/कटौती का लाभ नहीं मिल सकता था।

(अ)

वित्तीय वर्ष 2011-12,2012-13 और 2013-14 के लिए विवरणी में दावा किया गया। छूट की अधिसूचना केवल 8 जनवरी 2015 को जारी की गई थी, और वह भी संभावित के साथ। प्रभाव;

(ख)

वास्तव में, प्रथम प्रत्यर्थी ने प्राप्त किया है केवल 8 जनवरी 2015 की अवधि के लिए छूट/कटौती

31 मार्च 2015 तक और वित्त वर्ष 2015-16 के लिए;

इस निवेदन के संबंध में कि इसमें देरी हुई है उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं को स्थापित करना

अनुच्छेद 226:

(क) देरी का मुद्दा राज्य द्वारा नहीं उठाया गया है।

सरकार या तो उच्च न्यायालय के समक्ष

विशेष अवकाश याचिका;

(ख)

एक बार उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार किया

गुण, इस न्यायालय ने [2020] 14 एस. सी. आर. के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करने का विचार किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अकेले विलंब का, विशेष रूप से जब का निर्णय

उच्च न्यायालय कानूनी रूप से टिकाऊ है;

((ग)

रिट याचिका दायर करने में अपने आप में देरी हार नहीं सकती है।

दावा जब तक कि विरोधी पक्ष की स्थिति में इस तरह से बदलाव नहीं किया गया है कि इसे रिट याचिकाकर्ता के समय बीतने के कारण वापस नहीं लिया जा सकता है। राज्य ने न तो अनुरोध किया है और न ही अपनी स्थिति में किसी भी बदलाव का तर्क दिया है।

यह एक ऐसा मामला है जहां विरोधी पक्ष को नहीं किया गया है

((घ)

उच्च न्यायालय में पहुँचने में देरी के कारण किसी भी कठिनाई से गुजरना; और

भाईलाल भाई (ऊपर) और सुगनमल में निर्णय

((iv)

(उपर्युक्त) अलग किए जा सकते हैं क्योंकि वे अवैध रूप से एकत्र किए गए कर की वापसी की मांग करने वाली रिट याचिका से संबंधित हैं।

16. उपरोक्त आधारों पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि

प्रत्यर्थी औद्योगिक नीति 2012 के खंड 32.10 में निर्धारित अवधि के लिए छूट का लाभ पाने का हकदार है।

17. प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया है कि पाँच वर्ष की अवधि

17 अगस्त 2011 (वाणिज्यिक तिथि) से शुरू हो सकता है। उत्पादन) या वित्त वर्ष से (औद्योगिक नीति 2012 के खंड 35.7 (बी) के अनुसार) या 8 जनवरी 2015 (अधिसूचना की तारीख) से।

एच. विश्लेषण

18. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अब विचार किया जाएगा।

एच. आई. नीतिगत प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन में एक राज्य

19. औद्योगिक नीति 2012 पहले की औद्योगिक नीति को संदर्भित करती है, जिसे 2001 में राज्य के गठन के बाद तैयार किया गया था।

झारखंड। नीति में कहा गया है कि "नीति अवधि के दौरान औद्योगीकरण में काफी प्रगति हुई है"। फिर भी, खंड 1.8 के अनुसार, "विकास के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और विकास की बेहतर गति प्राप्त करने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने" की आवश्यकता है। खंड 1.9 इस तथ्य पर ध्यान देता है कि "आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण औद्योगीकरण के माहौल में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है"। नीति दस्तावेज में खंड 1.12 में कहा गया है कि इसका उद्देश्य निवेश को अधिकतम करने के लिए उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाना हैः

झारखंड राज्य बनाम। ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 1.12 . वर्तमान नीति का उद्देश्य विशेष रूप से खनिज और प्राकृतिक संसाधन आधारित उद्योगों, एमएसएमई, बुनियादी ढांचे में अधिकतम निवेश के लिए उद्योग-अनुकूल वातावरण बनाना है व्यवहार्य बीमार इकाइयों का विकास और पुनर्वास। इसका उद्देश्य राज्य भर में उद्योग स्थापित करके, राजस्व उत्पन्न करके और रोजगार पैदा करके राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यवर्धन को अधिकतम करना है।

खंड 1.13 में कहा गया है कि हितधारकों के साथ गहन बातचीत के बाद और उनके विचारों को समायोजित करने के लिए नीति का मसौदा तैयार किया गया था। यह था। उम्मीद है कि नीति, कार्यान्वयन पर, सुविधा प्रदान करेगी

स्व-उपभोग या कैप्टिव उपयोग के लिए कैप्टिव बिजली संयंत्र स्थापित करने वाली नई और मौजूदा दोनों औद्योगिक इकाइयों के लिए पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क की गणना उस तारीख से की जानी थी। संयंत्र के चालू होने का। खंड 35.7 (बी) के तहत, उत्पादन की तारीख के बाद के वित्तीय वर्ष से पात्रता प्राप्त होगी।

राज्य सरकार पांच साल की पूरी अवधि में पात्र इकाइयों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए नीति को तुरंत लागू करने की आवश्यकता से अवगत थी। इस आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, खंड 38 (बी) में परिकल्पना की गई है कि नीति की शर्तों को लागू करने के लिए इसके विभिन्न विभागों द्वारा अधिसूचनाएं एक महीने की अवधि के भीतर जारी की जाएंगी।

21. झारखंड राज्य की औद्योगिक नीति 2012 द्वारा अपेक्षित सतर्कता को इसके प्रशासनिक तंत्र में कोई प्रतिध्वनि नहीं मिली।

उच्च न्यायालय ने इसे न्यायसंगत रूप से नौकरशाही की सुस्ती का मामला बताया है। पहले सिद्धांत के रूप में, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब बिहार अधिनियम 1948 जैसी कोई क़ानून राज्य को अपने प्रावधानों से छूट देने का अधिकार देता है, तो राज्य के पास विवेकाधिकार होता है

किस तारीख से और किस अवधि के लिए छूट लागू होगी, यह निर्धारित करना। कोई व्यक्ति या संस्था राज्य को छूट प्रदान करने वाली अधिसूचना जारी करने या उन शर्तों पर जोर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है जिन पर सरकार ऐसा करती है। क्या छूट जारी की जानी चाहिए और यदि हां, तो छूट की शर्तें राज्य द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। लेकिन यह मामला उस सिद्धांत पर आधारित नहीं है और न ही प्रतिवादी के दावे के लिए उच्च न्यायालय को इससे अलग होने की आवश्यकता है। औद्योगिक नीति 2012 में एक प्रतिनिधित्व था कि [2020] 14 एस. सी. आर.

22. समय आ गया है कि राज्य सरकार प्रशासनिक सुस्ती के संबंध में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर ध्यान दे। यदि औद्योगिक नीति तैयार करने का उद्देश्य निवेश, रोजगार और विकास को प्रोत्साहित करना है, तो राज्य तंत्र की प्रशासनिक सुस्ती स्पष्ट रूप से एक ऐसा कारक है जो उद्यमिता को हतोत्साहित करेगा। नीति. दस्तावेज़ में एक गंभीर प्रतिनिधित्व था। इसने न केवल नई इकाइयों को बल्कि मौजूदा इकाइयों को भी बिजली शुल्क के भुगतान से छूट/कटौती देने पर विचार किया, जिनके पास कैप्टिव बिजली थी या होगी।

पौधे। वर्तमान मामले में, राज्य ने अन्य बातों के साथ-साथ पेश किए जाने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए छूट की पात्रता के खंड 32.10 और 35.7 (बी) के संदर्भ में एक गंभीर प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा, इसने खंड 38 (बी) में यह भी विचार किया कि एक महीने के भीतर एक अनुवर्ती छूट अधिसूचना जारी की जाएगी। एक महीने की वह अवधि अंतहीन रूप से इस परिणाम के साथ बढ़ी कि छूट देने का उद्देश्य और उद्देश्य लगभग विफल हो जाएगा। इसका शुद्ध परिणाम यह हुआ कि जब राज्य सरकार ने देर से 8 जनवरी 2015 को बिहार अधिनियम 1948 की धारा 9 के तहत एक अधिसूचना जारी की, तो यह संभावित था। नतीजतन, जब तक छूट की अधिसूचना जारी की गई,

औद्योगिक नीति 2012 के संदर्भ में जिस अवधि के लिए छूट दी जानी थी, उसका एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया था। 23. राज्य सरकार स्पष्ट रूप से छूट देने के लिए इच्छुक थी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां जनहित की एक व्यापक आवश्यकता के कारण, राज्य सरकार ने

प्रतिनिधित्व जो औद्योगिक नीति 2012 में निहित था। इसके विपरीत, इसने फिट और स्टार्ट में प्रतिनिधित्व को लागू करने की मांग की। सबसे पहले, अधिसूचना जारी करने में तीन साल की देरी हुई। दूसरा, अधिसूचना को संभावित बनाकर, इसने प्रत्यर्थी जैसी इकाइयों को छूट के पूर्ण लाभ से वंचित कर दिया, जिसकी मूल रूप से औद्योगिक नीति 2012 के संदर्भ में परिकल्पना की गई थी।

झारखंड राज्य v. ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एच. 2. मोतीलाल पदमपत पर इमारत

24. इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने औचित्य के साथ इस न्यायालय के दो फैसलों को स्वीकार किया है। कल्याणपुर सीमेंट (ऊपर) में, एक

बिहार राज्य में औद्योगिक नीति को 1995 में अधिसूचित किया गया था। नीति में निगरानी और समीक्षा का प्रावधान था और यह परिकल्पना की गई थी कि सभी विभाग और संगठन एक महीने के भीतर नीति को प्रभावी बनाने के लिए एक अनुवर्ती अधिसूचना जारी करेंगे। यह वर्तमान मामले में नीति के खंड 38 (बी) के समान था। 31 अगस्त 2000 को समाप्त हुई औद्योगिक नीति को प्रभावी बनाने के लिए बिहार राज्य द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। इकाई द्वारा बिक्री कर छूट के दावे को राज्य सरकार ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसने एक बीमार औद्योगिक इकाई को प्रोत्साहन नहीं देने का फैसला किया था। इस न्यायालय के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान एक अनुवर्ती अधिसूचना जारी की गई थी। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर के माध्यम से बोलते हुए कहाः

" 85. भले ही हम प्रस्तुतियों को स्वीकार करते हैं. कि खंड 24 में निहित प्रावधान अनिवार्य थे, अधिसूचना जारी करने के लिए केवल एक महीने का समय एक उचित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता था। यह अकल्पनीय है कि सरकार को अनुवर्ती अधिसूचना जारी करने में तीन साल लग सकते थे। हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलकर्ताओं की उचित अवधि के भीतर आवश्यक अधिसूचना जारी करने में विफलता औद्योगिक नीति, 1995 के प्रवर्तन ने 6-1-2001 और 5-3-2001 दिनांकित निर्णयों को पूरी तरह से मनमाना बना दिया है। अपीलार्थी को अपनी खामियों पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

न्यायसंगत और वैध दावे को विफल करने के लिए अपनी नीति को लागू करना

कंपनी। इसी कारण से हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुतियों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि कंपनी को कोई राहत नहीं दी जा सकती है क्योंकि नीति 31-8-2000 पर समाप्त हो गई है। इस तरह की प्रस्तुति को स्वीकार करना एक प्रीमियम डालना और औद्योगिक नीति, 1995 के खंड 24 में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना जारी नहीं करने में अपीलार्थी की पूरी तरह से मनमाना कार्रवाई को उचित ठहराना होगा।

25. मनुएलसन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम में निर्णय में। केरल राज्य (ऊपर), न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन के माध्यम से बोलते हुए, न्यायालय को 11 जुलाई 1986 की एक अधिसूचना का अर्थ लगाना पड़ा केरल सरकार पर्यटन संवर्धन गतिविधियों में लगे लोगों को समय-समय पर औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली रियायतों/प्रोत्साहनों के लिए स्वचालित रूप से पात्र बनने में सक्षम बनाती है। केरल भवन कर अधिनियम 1975 में एक संशोधन 6 नवंबर [2020] 14 एस. सी. आर. से किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1986 में किए गए वादे के अनुसार छूट देना और संशोधन किया गया था

1 मार्च 1993 से प्रभावी। अन्य बातों के साथ-साथ मोतीलाल पदमपत (उपरोक्त) में न्यायालय के पूर्व निर्णय पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 3 ..... ऐसी विवेकाधीन शक्ति का गैर-प्रयोग स्पष्ट रूप से है

वचन के सिद्धांत के अनुप्रयोग के कारण दूषित

मोतीलाल में इस न्यायालय के फैसलों के संदर्भ में रोक

पदमपत [मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। यू. पी. राज्य, (1979) 2 एससीसी 409: 1979 एस. सी. सी. (कर) 144: (1979) 2 एस. सी. आर. 641] और नेस्ले [पंजाब राज्य बनाम। नेस्ले इंडिया लिमिटेड (2004) 6 एस. सी. सी. 465]। यही कारण है कि इस तरह की शक्ति का गैर-प्रयोग है

स्वयं एक मनमाना कार्य है जिसे प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान न देने से दूषित किया जाता है, अर्थात् यह तथ्य कि यदि उक्त जी. ओ. में किए गए अभ्यावेदन के अनुसार केरल राज्य में होटल स्थापित किए जाने हैं तो जी. ओ. दिनांक 1 ने विशेष रूप से भवन कर से छूट का प्रावधान किया है। यह सच है कि इसके लिए कोई भी आदेश केरल भवन कर अधिनियम, 1975 में संशोधन करने के लिए विधायिका को जारी नहीं कर सकता है।

अनिवार्य रूप से न्यायपालिका को एक में उल्लंघन करने में शामिल करेगा

शक्तियों के पृथक्करण की संवैधानिक योजना के तहत निषिद्ध क्षेत्र। हालाँकि, तथ्यों पर, हम पाते हैं कि धारा 3-ए, वास्तव में, केरल विधानमंडल द्वारा केरल विधानमंडल में उपयुक्त संशोधन करके अधिनियमित की गई थी। जी. ओ. द्वारा दिनांकित 11-7-1986 द्वारा किए गए अभ्यावेदन को प्रभावी बनाने के लिए 6-11-1990 पर भवन कर अधिनियम, 1975। हम पाते हैं कि

उक्त प्रावधान क़ानून पुस्तिका में जारी रहा और इसे केवल 1-3-1993 से हटा दिया गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि 6-11-1990 से 1-3-1993 तक, भवन कर से छूट देने की शक्ति वैधानिक रूप से धारा 3-ए द्वारा प्रदान की गई थी।

सरकार। और हमने देखा है कि धारा 3-ए को प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्यों और कारणों के विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त खंड को जीओ में निहित वादों में से एक को पूरा करने के लिए पेश किया गया था। दिनांकित 11-7-1986। हम पाते हैं कि अपीलार्थी, उक्त जी. ओ. दिनांक 11-7-1986 पर भरोसा करने के बाद, वास्तव में, 1991 तक एक होटल भवन का निर्माण किया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि धारा 3-ए के तहत अधिसूचना जारी न करना मनमाना था।

सरकार का ऐसा कार्य जिसका निवारण, जैसा कि हमारे द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, वचन-निषेध के सिद्धांत को लागू करके किया जाना चाहिए।

यहाँ ऊपर। अधिसूचना जारी न करने का मंत्रिस्तरीय कार्य संभवतः उक्त सिद्धांत के तहत अपीलार्थियों को राहत पाने के रास्ते में बाधा नहीं बन सकता है क्योंकि सरकार की ओर से अपने वादे को पूरा किए बिना भाग जाना अनुचित होगा। झारखंड राज्य बनाम।

ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

एच. 3 प्रतिज्ञात्मक अवरोध-उत्पत्ति और विकास

अधिसूचना निर्धारित की गई थी और उत्तरदाता की ओर से अधिसूचना को पहले की तारीख से लागू करने या नीति का लाभ प्राप्त करने का कोई निहित अधिकार नहीं था जब तक कि इसे अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा लागू नहीं किया जाता था। कल्याणपुर सीमेंट (ऊपर) में निर्णय मांगा गया था। इस आधार पर अलग किया जाए कि उस मामले में पॉलिसी समाप्त होने तक कोई अनुवर्ती अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। संक्षेप और सार में, आपत्ति यह थी कि रिट याचिकाकर्ता-यहाँ प्रतिवादी-को यह दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं था कि अनुवर्ती अधिसूचना जारी की जानी चाहिए और वचन बहिष्कार का सिद्धांत, तथ्यों में, लागू नहीं होगा।

27. वर्तमान मामले में प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत से संबंधित विवादों का विश्लेषण करने के लिए, इस पर चर्चा करना आवश्यक है

सिद्धांत की उत्पत्ति और इसके अनुप्रयोग का विकास। सामान्य कानून विभिन्न प्रकार के न्यायसंगत बहिष्कार को मान्यता देता है, जिनमें से एक वचनबद्ध बहिष्कार है। क्रेब बनाम अरुण डी. सी. 1 3 में, लॉर्ड डेनिंग ने अपील न्यायालय की ओर से बोलते हुए, समानता में वचन-निषेध की उत्पत्ति का पता लगाया, और कहाः

" इस स्वामित्व रोक का आधार-वास्तव में वचन रोक का आधार-इक्विटी का अंतर्वेशन है। सख्त कानून की कठोरता को कम करने के लिए समानता सही रूप में आती है। शुरुआती मामलों में इसे "रोक-टोक" नहीं कहा गया था। उन्होंने इसके बारे में "इक्विटी जुटाने" के रूप में बात की अगर मैं इसका विस्तार कर सकता हूं, लॉर्ड केर्न्स ने कहाः " यह पहला सिद्धांत है जिस पर सभी समानता के न्यायालय आगे बढ़ते हैं ", कि यह एक को अपने कानूनी अधिकारों पर जोर देने से रोकेगा-चाहे वह एक के तहत उत्पन्न हो।

व्यक्ति

अनुबंध या उसके स्वामित्व विलेख पर, या कानून द्वारा-जब पक्षों के बीच हुए लेन-देन को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उसके लिए असमान होगा।

28. वचन रद्द करने के सिद्धांत की आवश्यकताओं को अनुबंध 1 4 ("चिट्टी") पर चिट्टी में भी तैयार किया गया हैः

" 4.086 . न्यायसंगत सिद्धांत के संचालन के लिए पक्षों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों को जन्म देने वाला एक कानूनी संबंध होना चाहिए; एक पक्ष द्वारा एक वादा या प्रतिनिधित्व जिसे वह लागू नहीं करेगा।

13 [1976] 1 सीएच 179 (अपील न्यायालय)। 14 ह्यूग बील, चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स (32 वां संस्करण। , स्वीट एंड मैक्सवेल 2017)।

दूसरे के खिलाफ उस संबंध से उत्पन्न होने वाले उसके सख्त कानूनी अधिकार; पूर्व पक्ष की ओर से एक इरादा कि बाद वाला प्रतिनिधित्व पर भरोसा करेगा; और बाद वाले पक्ष द्वारा ऐसी निर्भरता। यहां तक कि अगर ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो भी सिद्धांत के संचालन को बाहर रखा जा सकता है, अगर यह पहले पक्ष के लिए अपने वादे से पीछे हटना "असमान" नहीं है। यह सिद्धांत आम तौर पर संविदात्मक अधिकारों को लागू नहीं करने के वादों पर लागू होता है, लेकिन यह भी

यह कुछ अन्य संबंधों तक फैला हुआ है।

4.088 ..... यह सिद्धांत वहाँ भी लागू हो सकता है जहाँ संबंध देना है।

अधिकारों और सहसंबंधी कर्तव्यों में वृद्धि गैर-संविदात्मक हैः उदाहरण के लिए विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी के निदेशक पर कानून द्वारा लगाए गए दायित्व के प्रवर्तन को रोकने के लिए जिस पर

कंपनी का नाम सही ढंग से नहीं दिया गया है; या एक आदमी को एक महिला को बाहर निकालने से रोकने के लिए, जिसके साथ वह सहवास कर रहा है,

परिवार का घर। "

चिट्टी (ऊपर) स्पष्ट करता है कि कानूनी संबंध के अभाव में भी वचन बहिष्कार के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। हालाँकि, इसने कहा कि यह सिद्धांत का एक गलत अनुप्रयोग होगा क्योंकि यह पक्षों के बीच नए अधिकारों का उदय है, जब आईएनई का इरादा पहले से मौजूद अधिकारों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित करना हैः

" 4.089 . वास्तव में, यह सुझाव दिया गया है कि यह सिद्धांत लागू हो सकता है, जहां वादा या प्रतिनिधित्व करने से पहले, दोनों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों को जन्म देने वाला कोई कानूनी संबंध नहीं है।

सिद्धांत की प्रकृति, जो वादा करने वाले के खिलाफ पहले से मौजूद अधिकारों के वादा करने वाले द्वारा प्रवर्तन को प्रतिबंधित करना है। इस तरह के अधिकार केवल वादा या प्रतिनिधित्व करने से पहले इन पक्षों के बीच मौजूद कानूनी संबंध से उत्पन्न हो सकते हैं। जहाँ ऐसा कोई संबंध नहीं था वहाँ सिद्धांत को लागू करना नियम का उल्लंघन होगा (पैरा में चर्चा की जाएगी। 4-099 नीचे) कि सिद्धांत कोई नया अधिकार नहीं बनाता है।

29. आम तौर पर अंग्रेजी कानून के तहत, न्यायिक निर्णयों में

ई पास्ट ने अभिनिर्धारित किया कि प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत झारखंड राज्य बनाम नहीं हो सकता है।

ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

'तलवार' के रूप में उपयोग किया जाए, किसी भी विचार के बिना वादे को लागू करने के लिए कार्रवाई के कारण को जन्म देने के लिए। उन निर्णयों में इसका उपयोग किया गया है एक 'ढाल' के रूप में सीमित किया गया है, जहां वचनदाता को अपने सख्त कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन का दावा करने से रोक दिया जाता है, जब ऐसे अधिकारों को निलंबित करने के लिए शब्दों या आचरण द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। कॉम्बे बनाम कॉम्बे 1 5 ("कॉम्बे") में, अपील न्यायालय ने माना कि विचार कार्रवाई के कारण का एक आवश्यक तत्व है:

" यह [प्रोमिसरी एस्टोपेल] कार्रवाई के कारण का हिस्सा हो सकता है, लेकिन नहीं

कार्रवाई का एक कारण।]

सिद्धांत कभी भी अपने आप में कार्रवाई का कारण देने के रूप में अकेला नहीं खड़ा होता है, यह विचार की आवश्यकता को कभी भी दूर नहीं कर सकता है जब वह कार्रवाई के कारण का एक अनिवार्य हिस्सा है। विचार का सिद्धांत बहुत दृढ़ता से तय किया गया है

एक तरफ-हवा से उखाड़ फेंका गया "।

1 5 [1951] 2 के. बी. 215। 16 वायवर्न डेवलपमेंट, री, [1974] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1097 सुसान एम. मॉर्गन में उद्धृत, "ऑस्ट्रेलिया में प्रोमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत का एक तुलनात्मक विश्लेषण, ग्रेट। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ", (1985) 15 मेलबर्न विश्वविद्यालय कानून समीक्षा 134,139-141।

17 टंगस्टन इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड बनाम टूल मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, [1955] 1

18 बेयर्ड टेक्सटाइल्स होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम मार्क्स एंड स्पेंसर पीएलसी। , [2002] 1 सभी ई. आर. (कम) 737, अपील न्यायालय ने कहा कि "जब तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कानून विकसित या सही नहीं किया जाता है, तब तक दावे के सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है।" 19 अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट, रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉ (2 डी), कॉन्ट्रैक्ट्स (1981), पैरा 90। 20 वाल्टन्स स्टोर्स (अंतरराज्यीय) लिमिटेड बनाम माहेर, (1988) 164 सी. एल. आर. 387।

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. भारत ने, जैसा कि हम जल्द ही खोज करेंगे, इस सिद्धांत का एक अधिक विस्तृत कथन अपनाया। तुलनात्मक कानून उन देशों को सक्षम बनाता है जो

दूरदर्शिता का लाभ उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार से एक सिद्धांत लागू करें।

इस न्यायालय ने एक वादे पर भरोसा करने वाले पक्ष के साथ किए जा रहे अन्याय को दूर करने के लिए वचन बहिष्कार के सिद्धांत की एक विस्तृत व्याख्या की है। मोतीलाल पदमपत (ऊपर) में, इस न्यायालय ने वचन बहिष्कार को समानता में एक सिद्धांत के रूप में देखा, जो विचार के सिद्धांत से बाधित नहीं था जैसा कि अंग्रेजी कानून के तहत मामला था। इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती (जैसा कि वे उस समय थे) के माध्यम से बोलते हुए इस प्रकार निर्णय दियाः

" 12 ..... उस सामान्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए सिद्धांत

प्रख्यात न्यायविदों द्वारा विचार के अधीन किया गया है, हमें हमले या क्षरण के खिलाफ इस सिद्धांत को पेश करने के लिए अनावश्यक रूप से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और न ही इसे वचन की समानता के पूर्ण विकास को कम करने या बाधित करने की अनुमति देने की आवश्यकता है या अन्याय को रोकने के लिए एक न्याय उपकरण के रूप में इसकी परिचालन प्रभावकारिता को बाधित या कम करने की आवश्यकता है। हमें कोई वैध कारण नहीं दिखता है कि वचन की समाप्ति की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। कार्रवाई का एक
कारण खोजने के लिए जहां, इक्विटी को संतुष्ट करने के लिए, यह

ऐसा करना आवश्यक है। "

एच. 4 अवरोध से लेकर अपेक्षाओं तक

यह विश्वास करना कि वे एक महत्वपूर्ण लाभ के प्राप्तकर्ता होंगे। मूल वैध अपेक्षा के सिद्धांत को आर बनाम उत्तर और पूर्वी डेवोन स्वास्थ्य प्राधिकरण, पूर्व पी कफलन 2 1 में निम्नलिखित में समझाया गया है। शर्तेंः

" 55 ... . लेकिन उनकी वैध अपेक्षा क्या थी? " जहाँ इस बारे में कोई विवाद है, वहाँ विवाद का निर्धारण अदालत द्वारा किया जाना चाहिए, जैसा कि इन री फाइंडले में हुआ था। इसमें किए गए वादे या प्रतिनिधित्व की सटीक शर्तों, उन परिस्थितियों की विस्तृत जांच शामिल हो सकती है जिनमें वादा किया गया था और वैधानिक
या अन्य विवेकाधिकार की प्रकृति।

21 [2001] क्यू. बी. 233।

झारखंड राज्य v. ब्रह्मपुत्र धातु विज्ञान

लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

जे.]

56 ..... जहाँ अदालत मानती है कि एक वैध वादा या व्यवहार

एक लाभ की वैध अपेक्षा को प्रेरित किया है जो है

केवल प्रक्रियात्मक नहीं, बल्कि मूल रूप से, प्राधिकरण अब यह स्थापित करता है कि

यहाँ भी अदालत एक उचित मामले में फैसला करेगी कि उसे निराश करना है या नहीं।

उम्मीद इतनी अनुचित है कि एक नया और अलग रास्ता अपनाना

यह सत्ता का दुरुपयोग होगा। यहाँ, एक बार की वैधता

अपेक्षा स्थापित हो जाती है, न्यायालय के पास कार्य होगा

किसी भी ओवरराइडिंग के खिलाफ निष्पक्षता की आवश्यकताओं का वजन करना

नीति परिवर्तन के लिए ब्याज पर निर्भर था।

(जोर दिया

गया)

33. अंग्रेजी कानून के तहत, वैध अपेक्षा का सिद्धांत

शुरू में सार्वजनिक कानून के संदर्भ में निजी कानून में पाए जाने वाले प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत के सादृश्य के रूप में विकसित किया गया था। हालाँकि, तब से, अंग्रेजी कानून ने प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांतों के बीच अंतर किया है।

और क्रमशः निजी कानून और सार्वजनिक कानून के तहत विशिष्ट उपचार के रूप में वैध अपेक्षा। डी स्मिथ की न्यायिक समीक्षा 2 2 में वैध अपेक्षा के सिद्धांत के सार्वजनिक कानून दृष्टिकोण और प्रतिज्ञात्मक बहिष्कार के सिद्धांत के निजी कानून दृष्टिकोण के बीच विरोधाभास को नोट किया गया हैः

" [घ] इसके विपरीत निर्देश के बावजूद [रूटकिन बनाम केंट सीसी, (1981) 1 डब्ल्यूएलआर 1186 (सीए); आर वी जॉकी क्लब एक्स पी रैम रेसकोर्स लिमिटेड,

[1993] ए. सी. 380 (एच. एल.); आर. वी. आई. आर. सी. एक्स पी. कैमाक कॉर्प, (1990) 1 डब्ल्यू.
एल. आर. 191 (सी. ए.)], यह आम तौर पर किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है

अपना पद बदल लिया या अपने नुकसान के लिए काम किया ताकि एक वैध अपेक्षा के धारक के रूप में अर्हता प्राप्त करें [आर बनाम मंत्रालय के लिए

कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य एक्स पी हैम्बल मत्स्य पालन

(अपतटीय) लिमिटेड, (1995) 2 सभी ईआर 714 (क्यूबी)]। . . निजी कानून

एस्टोपेल के क्षेत्र से समानताएं, हमने देखा है, सीमित हैं प्रासंगिकता जहां एक सार्वजनिक कानून सिद्धांत के लिए सार्वजनिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है

उनके उपक्रमों का सम्मान करें और कानूनी निश्चितता का सम्मान करें, चाहे कुछ भी हो क्या नुकसान संबंधित व्यक्ति द्वारा किया गया है

[साइमन एट्रिल, 'सार्वजनिक कानून में एस्टोपेल का अंत?' (2003)

62 कैम्ब्रिज लॉ जर्नल 3] "।

(जोर दिया गया)

34. वचन के सिद्धांतों के बीच एक और अंतर

अंग्रेजी कानून के तहत रोक और वैध अपेक्षा यह है कि बाद वाला

22 हैरी वूल्फ और अन्य, डी स्मिथ की न्यायिक समीक्षा (8 वां संस्करण, थॉमसन रॉयटर्स 2018)।

कार्रवाई 2 3 का कारण बन सकता है। वैध अपेक्षा के सिद्धांत का दायरा वचन रद्द करने की तुलना में व्यापक है क्योंकि यह न केवल एक सार्वजनिक निकाय द्वारा किए गए वादे को ध्यान में रखता है, बल्कि आधिकारिक अभ्यास को भी ध्यान में रखता है। इसके अलावा, वादा रद्द करने के सिद्धांत के तहत, वादे पर निर्भरता के कारण किसी पक्ष को हुए नुकसान को दिखाने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि आम तौर पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वादा करने वाले ने वादे पर भरोसा करके अपनी स्थिति बदल दी है, यह तथ्य कि वादा करने वाले के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा किया गया है, यह मानने के लिए प्रासंगिक हो सकता है कि वादा करने वाले के लिए अपने वादे से पीछे हटना "असमान" नहीं होगा। 24 हालाँकि, वैध अपेक्षा के सिद्धांत के तहत ऐसी कोई आवश्यकता मौजूद नहीं है। रेजिना (बीबी) बनाम न्यूहैम लंदन बरो काउंसिल 25 में, अपील न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 55 वर्तमान मामला बिना किसी ठोस नुकसान के निर्भरता का है। हम इस वाक्यांश का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें नैतिक नुकसान है, जो होना चाहिए।

लंबे समय तक निराशा में, जिसे हल्के में खारिज नहीं किया जाए

हुआ है; और के विक्षेपण में संभावित नुकसान

एक शरणार्थी परिवार के लिए, बसने की शुरुआत में तलाश करने की संभावना

यूनाइटेड किंगडम में कहीं जहाँ सुरक्षित आवास था

आना कम मुश्किल है। हमारी राय में ये चीजें सार्वजनिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

निजी कानून में गलत प्रतिनिधित्व, क्योंकि वे निष्पक्षता की ओर जाते हैं और निष्पक्षता से लेकर सत्ता के संभावित दुरुपयोग तक। उपेक्षा करने के लिए

वैध अपेक्षा क्योंकि कोई ठोस नुकसान नहीं हो सकता है

समाज में सबसे कमजोर लोगों को किसी विशेष स्थान पर रखना दिखाया जाएगा।

हानि। इसका मतलब यह होगा कि जिनके पास विकल्प है और

बचने के किसी भी साधन के अभाव में, केवल अपनी जगह रखने के लिए मजबूर हैं उनके सामने जो प्रतिनिधित्व किया गया है उस पर भरोसा करें।

(जोर दिया गया)

35. नतीजतन, जबकि वचन के सिद्धांत का आधार

निजी कानून में रोक लगाना दो पक्षों के बीच किया गया एक वादा है, सार्वजनिक कानून में वैध अपेक्षा के सिद्धांत का आधार पूर्वनिर्धारित है

आचरण के आसपास निष्पक्षता और गैर-मनमानेपन के सिद्धांतों पर 23 रेबेका विलियम्स, "द मल्टीपल डॉक्ट्रिंस ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस", (2016) 132 (अक्टूबर) लॉ क्वार्टरली रिव्यू 239,645।

24 पैरा 4-095 पर सुप्रा नोट 19।

25 [2002] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 237

झारखंड राज्य बनाम। ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सार्वजनिक प्राधिकरणों से। इसका मतलब यह नहीं है कि जब किसी राज्य की संस्था ने किसी अन्य निजी पक्ष के साथ निजी अनुबंध किया है, तो वचन रद्द करने का सिद्धांत उन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। बल्कि, अंग्रेजी कानून में, यह उन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है जब राज्य ने

अपने सार्वजनिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी निजी पक्ष को प्रतिनिधित्व।

एच. 5. भारतीय कानून और वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत

36. भारतीय कानून के तहत, अक्सर वादा रोकने और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों के बीच एक टकराव होता है। यह है

जैन और जैन के प्रसिद्ध ग्रंथ, के सिद्धांतों में वर्णित किया गया है

प्रशासनिक कानून 27:

" कभी-कभी, 'वैध अपेक्षा' और 'वचन बहिष्कार' अभिव्यक्तियों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन यह एक सही उपयोग नहीं है क्योंकि 'वैध अपेक्षा' एक अवधारणा है जो बहुत व्यापक है।

'प्रोमिसरी एस्टोपेल' की तुलना में दायरा।

हालाँकि, प्रासंगिक भारतीय मामलों को पढ़ने से विचारों में कुछ भ्रम दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इस सिद्धांत की प्रकृति और दायरे के संबंध में न्यायिक सोच अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। कभी-कभी, इसे केवल एक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया गया है; कभी-कभी, इसे पारस्परिक रूप से वचन के रूप में माना गया है।
रुक जाता है। हालाँकि ये दोनों विचार गलत हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वैध अपेक्षा भी एक मूल सिद्धांत है और

प्रोमिसरी एस्टोपेल की तुलना में बहुत व्यापक दायरा।

पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम भारत संघ, उच्चतम न्यायालय ने वैध के सिद्धांत के संबंध में टिप्पणी की है

उम्मीदः

पिछले अभ्यास या अतीत के आधार पर अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए आचरण तब तक करें जब तक कि उक्त प्रतिनिधित्व पर रिलायंस को जिस तरह से रखा गया है, उसमें कुछ सर्वोपरि सार्वजनिक हित न आए और

प्रतिनिधि को इससे नुकसान उठाना पड़ा होगा।

26 निकोलस बामफोर्थ, "लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एंड एस्टोपेल" (1998) 3 जूड रेव 196। 27 एम. पी. जैन और एस. एन. जैन, प्रशासनिक कानून के सिद्धांत (7 वां संस्करण, ई. बी. सी. 2013)।

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह सुझाव दिया जाता है कि वैध अपेक्षा के सिद्धांत का यह सूत्रीकरण सही नहीं है क्योंकि यह "वैध अपेक्षा" को व्यावहारिक रूप से वचन बहिष्कार का पर्याय बनाता है। प्राधिकरण के आचरण से वैध अपेक्षा उत्पन्न हो सकती है; इस उद्देश्य के लिए हमेशा एक वादा आवश्यक नहीं होता है।

37. जबकि इस सैद्धांतिक भ्रम का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है।

अपेक्षाएँ जो यह उत्पन्न करती हैं। प्रोफेसर जैन और देशपांडे ने इस सैद्धांतिक भ्रम के परिणामों को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया हैः शर्तेः

" इस प्रकार, भारत में, वैध अपेक्षाओं की विशेषता ब्रिटेन जैसे क्षेत्राधिकारों की तुलना में कमजोर है, जहां अदालतें अब एल. ई. [वैध अपेक्षाएँ] जैसे सिद्धांतों के विकास के आलोक में अवरोध की धारणा में अंतर्निहित नैतिक मूल्यों को अवशोषित करने के लिए सार्वजनिक कानून की क्षमता को पहचानने के लिए तैयार हैं और

सत्ता का दुरुपयोग। यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजी कानून की सीमाओं से प्रत्यर्पण की धारणा को बदलने में अपनी रचनात्मकता दिखाई है, तो यह तर्क के लिए खड़ा नहीं है कि उसे नीतियों और लंबे समय से चली आ रही प्रथाओं से प्रशासनिक अधिकारियों को हटाने की न्यायिक समीक्षा के लिए एल. ई. के सिद्धांत को स्पष्ट और विकसित क्यों नहीं करना चाहिए। यदि एल. ई. की ऐसी धारणा है यह स्वीकार किए जाने के बाद, न्यायालय न केवल प्रतिभूति रोक और वैध अपेक्षा के बीच कृत्रिम पदानुक्रम को समाप्त करने में सक्षम होगा, बल्कि यह प्रशासनिक अधिकारियों को वादों के क्षेत्र से बाहर सार्वजनिक कानून के आधार पर जवाबदेह ठहराने में भी सक्षम होगा। वर्तमान में, वचन क्षेत्र के बाहर वचन रोधन के समान सिद्धांत के अभाव में, के प्रशासनिक कानून का निर्णय

नीतियों का पुनर्गठन एक अस्थिर सार्वजनिक कानून की नींव पर खड़ा है। झारखंड राज्य V.

ब्रह्मपुत्र धातुएँ

लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

38. इसलिए हम इसके लिए एक ठोस आधार प्रदान करने का प्रयास करेंगे

वैध अपेक्षा का सिद्धांत, जो केवल प्रतिज्ञात्मक बहिष्कार के सिद्धांत के साथ सादृश्य पर आधारित नहीं है। इस सिद्धांत के स्वतंत्र अस्तित्व की आवश्यकता को संयुक्त राज्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने विट्रेली बनाम सेटन 28 में व्यक्त किया थाः

ऐसी एजेंसी को बाध्य करने वाली आवश्यकताओं से परे उदारता, कि प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। यह न्यायिक रूप से विकसित हुआ

प्रशासनिक कानून का शासन अब दृढ़ता से स्थापित हो गया है और, यदि मैं कर सकता हूँ

जोड़ें, ठीक है। जो प्रक्रियात्मक तलवार लेता है वह नष्ट हो जाएगा।

तलवार के साथ "।

39. हालाँकि, ऐसा करने से पहले, यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि

इस न्यायालय के पिछले निर्णयों में वैध अपेक्षा के सिद्धांत की समझ। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम बनाम एस. रघुनाथन में 9 ("राष्ट्रीय भवन निर्माण")

कॉर्प "।) , इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति एस. सागिर अहमद के माध्यम से बोलते हुए कहा किः

" 18. "वैध अपेक्षा" के सिद्धांत की अपनी उत्पत्ति है प्रशासनिक कानून का क्षेत्र। सरकार और उसके

देश के मामलों के प्रशासन में विभाग हैं -

उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नीति या इरादे के बयानों का सम्मान करेंगे और

नागरिकों के साथ बिना किसी आयता के पूर्ण व्यक्तिगत विचार के साथ व्यवहार करें

विवेक का दुरुपयोग। नीतिगत बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

अनुचित तरीके से या चुनिंदा रूप से लागू किया गया। के रूप में अन्याय

अनुचितता प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के समान है। इसमें था।

इस संदर्भ में कि "वैध अपेक्षा" का सिद्धांत था

जो आज मूल स्रोत भी बन गया है प्रक्रियात्मक अधिकारों के रूप में। लेकिन "वैध अपेक्षा" पर आधारित दावे

दावेदार को उसी तरह नुकसान पहुँचाना जिस तरह से दावे के आधार पर वादा रद्द करना। "

(जोर दिया गया)

(न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू) और रमण दयराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, (1979) 3 एस. सी. सी. 489 की सहमति वाली राय। 29 (1998) 7 एससीसी 66।

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अवलोकन इस न्यायालय द्वारा वैध सिद्धांत के दायरे पर चर्चा करते हुए किया गया था। अंग्रेजी कानून के तहत अपेक्षा, जैसा कि तब था। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, अंग्रेजी के तहत भी वैध अपेक्षा और वचन बहिष्कार के सिद्धांतों के बीच एक महत्वपूर्ण टकराव या ओवरलैप था।

पूर्व के बाद से कानून को अक्सर उत्तरार्द्ध के अनुरूप होने के रूप में लागू किया जाता था। हालाँकि, तब से और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के बाद से, वैध अपेक्षा के सिद्धांत के संबंध में अंग्रेजी कानून विकसित हुआ है। विशेष रूप से, इसने सक्रिय रूप से दोनों सिद्धांतों को अलग करने और वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत को व्यापक आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया है। रेजिना (रिप्रोटेक (पेबशम) लिमिटेड) बनाम ईस्ट ससेक्स काउंटी

परिषद 3 0 30, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया हैः

"

" 33 किसी भी मामले में, मुझे लगता है कि कानून की योजना बनाने में अवरोध की निजी कानून अवधारणाओं को शामिल करना अनुपयोगी है। जैसा कि लॉर्ड स्कारमैन ने बताया

न्यूबरी जिला परिषद बनाम पर्यावरण के लिए राज्य सचिव [1981] अधिनियम 578,616 में, अवरोध व्यक्तियों को इस आधार पर बाध्य करते हैं कि उनके लिए इस बात से इनकार करना अनुचित होगा कि उन्होंने क्या प्रतिनिधित्व किया है या सहमत हुए हैं। लेकिन निजी की ये अवधारणाएँ

कानून को "योजना नियंत्रण के सार्वजनिक कानून, जो सभी को बांधता है" में विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए। (आर बनाम लीसेस्टर सिटी काउंसिल में डायसन जे को भी देखें, एक्स पी पावरजेन यूके लिमिटेड [2000] जे. पी. एल. 629, 637.)

34 निश्चित रूप से एक निजी कानून के बीच एक समानता है

सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ आम जनता के हितों को भी ध्यान में रखना होगा जिसे बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण मौजूद है। सार्वजनिक कानून व्यक्तिगत अधिकारों के पदानुक्रम को भी ध्यान में रख सकता है। जो
मानवाधिकार अधिनियम 1998 के तहत मौजूद हैं, ताकि, उदाहरण के लिए, व्यक्ति के घर के अधिकार को उच्च स्तर पर प्रदान किया जाए

सुरक्षा (कफलान का मामला देखें, पीपी 254-255 पर) जबकि सामान्य संपत्ति के अधिकार सामान्य रूप से सार्वजनिक हित के विचारों से कहीं अधिक सीमित हैंः आर (एल्कनबरी डेवलपमेंट्स लिमिटेड) बनाम पर्यावरण, परिवहन और क्षेत्रों के लिए राज्य सचिव देखें।

[2001] 2 डब्ल्यूएलआर 1389।

30 [2003] 1 डब्ल्यूएलआर 348।

झारखंड राज्य बनाम। ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

35 यह सच है कि वेल्स मामला [1967] जैसे शुरुआती मामलों में

डब्ल्यूएलआर 1000 और लीवर फाइनेंस लिमिटेड बनाम वेस्टमिंस्टर (सिटी) लंदन बरो काउंसिल [1971] 1 क्यू. बी. 222, लॉर्ड डेनिंग एम. आर. ने इस्तेमाल किया

नियोजन कानून के संबंध में विरोध की भाषा। उस समय यह

शक्ति के दुरुपयोग और वैध अपेक्षा की सार्वजनिक कानून अवधारणाएँ बहुत अविकसित थे और इसमें कोई संदेह नहीं है कि एस्टोपेल की समानता

उपयोगी लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में, सार्वजनिक कानून है

नैतिक मूल्यों से जो कुछ भी उपयोगी है वह पहले से ही अवशोषित है जो

रोक की निजी कानून अवधारणा को रेखांकित करता है और समय है

उसे अपने दो पैरों पर खड़ा करने के लिए आएं। ”

(जोर दिया गया)

40. मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड में एक सहमति राय में।

बनाम भारत संघ 3 1 ("मोनेट इस्पात"), न्यायमूर्ति एच. एल. गोखले ने प्रकाश डाला

विभिन्न विचार जो वचन के सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं

बाधा और वैध अपेक्षा। विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि वचन रद्द करने के सिद्धांत को लागू करने के लिए, एक वादा होना चाहिए, जिसके आधार पर वादा करने वाले ने अपने पूर्वाग्रह के अनुसार कार्य किया है। में।इसके विपरीत, वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करते समय, प्राथमिक विचार राज्य की कार्रवाई की तर्कसंगतता और निष्पक्षता हैं। उन्होंने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" वादा रोक और वैध अपेक्षाएँ

289. जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, के सिद्धांत का आह्वान करने के लिए वादा रोकने के लिए एक वादा होना चाहिए, और उस आधार पर

संबंधित पक्ष ने अपने पूर्वाग्रह के अनुसार कार्य किया होगा। पल भर में

मामला यह केवल एक प्रस्ताव था, और यह बहुत स्पष्ट किया गया था कि

इसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना था, जहां से पहले इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि इसमें कोई प्रतिज्ञा है। इसके अलावा, इक्विटी

इसका उपयोग किसी वैधानिक प्रावधान या अधिसूचना के खिलाफ नहीं किया जा सकता है।

290 ..... किसी भी मामले में, किसी भी वादे के अभाव में, अपीलार्थी

आधूनिक सहित दाँतों में वचन संबंधी अवरोध का दावा नहीं कर सकते हैं

वैकल्पिक रूप से, अपीलार्थी इसके तहत मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आधार है

न्यायसंगतता और निष्पक्षता। हालांकि, इसे भी लागू नहीं किया जा सकता है

जहाँ सार्वजनिक प्राधिकरण का निर्णय किसी प्रावधान में आधारित है।

कानून का, और सार्वजनिक हित के अनुरूप है।

(जोर दिया गया)

3 1 31 (2012) 11 एस. सी. सी 1.

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. भारत संघ बनाम लेफ्टिनेंट कर्नल पी. के. चौधरी 3 2 32 में, मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर के माध्यम से बोलते हुए, न्यायालय ने निर्णय पर चर्चा की।

मोनेट इस्पात (ऊपर) और न्यू साउथ वेल्स बनाम क्विन 3 3 के लिए अटॉर्नी जनरल के फैसले पर अपनी निर्भरता का उल्लेख किया। इसके बाद यह देखा गयाः

" इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि वैध अपेक्षा से इनकार किया जाता है किसी मामले में किसी ऐसे अधिकार को अस्वीकार करने के बराबर है जिसकी गारंटी है या जो मनमाना, भेदभावपूर्ण, अनुचित या पक्षपाती है, सत्ता का घोर दुरुपयोग है।

या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में, उस पर संविधान के अनुच्छेद 14 को आकर्षित करने वाले प्रसिद्ध आधारों पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन यह केवल वैध अपेक्षा पर आधारित दावा है। बिना किसी और चीज़ के
वास्तव में आह्वान करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है

ये सिद्धांत "।

इस प्रकार, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वैध अपेक्षा के सिद्धांत को अपने आप में एक अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब एक वैध अपेक्षा से इनकार करने से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो।

42. जहां तक अनुच्छेद 14 और वैध अपेक्षा के सिद्धांत के बीच संबंध का संबंध है, खाद्य निगम में तीन न्यायाधीशों की पीठ भारत बनाम कामधेनू कैटल फीड इंडस्ट्रीज 34 ने न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा के माध्यम से बोलते हुए इस प्रकार निर्णय दियाः

" 7. संविदात्मक क्षेत्र में अन्य सभी राज्य कार्यों की तरह, राज्य और उसके सभी उपकरणों को संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होना चाहिए, जिसका गैर-मनमानेपन एक महत्वपूर्ण पहलू है। सार्वजनिक कानून में कोई निरंकुश विवेकाधिकार नहीं हैः एक सार्वजनिक प्राधिकरण उनके पास केवल सार्वजनिक भलाई के लिए उनका उपयोग करने की शक्तियाँ हैं। यह निष्पक्ष रूप से कार्य करने और एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाने के कर्तव्य को लागू करता है जो 'कार्रवाई में निष्पक्षता' है। अच्छे के एक हिस्से के रूप में इस दायित्व का उचित पालन

प्रशासन प्रत्येक मामले में एक उचित या वैध अपेक्षा रखता है। नागरिक के साथ राज्य और उसके उपकरणों के साथ बातचीत में निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए, जिसमें यह तत्व एक आवश्यक घटक बनता है।

राज्य के सभी कार्यों में निर्णय लेने की प्रक्रिया। इसलिए राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है। उचित या उचित पर विचार करने और उचित वजन देने के लिए आवश्यक है

प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की वैध अपेक्षाएँ

32 (2016) 4 एससीसी 236। 3 3 (1990) 64 ऑस्ट एलजेआर 327: (1990) 170 सी. एल. आर. 1. 34 (1993) 1 एससीसी 71।

झारखंड राज्य बनाम। ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

निर्णय या अन्यथा कि शक्ति के प्रयोग में अन्याय हो सकता है प्रभाव डालने के अलावा शक्ति के दुरुपयोग या अधिकता के लिए राशि

किसी दिए गए मामले में निर्णय की ईमानदारी। इस तरह लिया गया फैसला

मनमानेपन के आधार पर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कानून का शासन अभ्यास में विवेक को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है।

शक्ति का, क्योंकि यह अवास्तविक है, लेकिन इसके अभ्यास के नियंत्रण के लिए प्रदान करता है

न्यायिक समीक्षा द्वारा।

8. एक नागरिक की केवल उचित या वैध अपेक्षा, ऐसी स्थिति अपने आप में एक विशिष्ट प्रवर्तनीय अधिकार नहीं हो सकती है,

लेकिन इस पर विचार करने और इसे उचित महत्व देने में विफलता

निर्णय मनमाना, और इस तरह देय की आवश्यकता है

वैध अपेक्षा पर विचार करना सिद्धांत का हिस्सा है।

गैर-मनमानी, कानून के शासन का एक आवश्यक सहवर्ती।

प्रत्येक वैध अपेक्षा एक प्रासंगिक कारक है जिसके लिए देय राशि की आवश्यकता होती है।

एक निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचार करना। चाहे वह

प्रत्येक मामले में तथ्य का सवाल है। जब भी सवाल आता है, यह दावेदार की धारणा के अनुसार निर्धारित नहीं किया जाना है

लेकिन व्यापक लोक हित में जिसमें अन्य अधिक महत्वपूर्ण हैं।

विचार उन बातों से कहीं अधिक हो सकते हैं जो अन्यथा होतीं।

दावेदार की वैध अपेक्षा। एक प्रामाणिक निर्णय इस तरह से पहुँचा गया सार्वजनिक प्राधिकरण संतुष्ट करेगा

गैर-मनमानेपन की आवश्यकता और न्यायिक जांच का सामना करना।

वैध अपेक्षा का सिद्धांत नियम में आत्मसात हो जाता है।

हमारी कानूनी प्रणाली में इस तरह से और इस तरह से काम करता है

हद तक "।

(जोर दिया गया)

हाल ही में, नोएडा उद्यमी संगठन में। बनाम नोएडा 3,

-इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान के माध्यम से बोलते हुए,

निम्नलिखित शब्दों में इस संबंध पर मूल्यांकन किया गयाः

" 39. राज्य के कार्यों को गैर-मनमाना और उचित होने की आवश्यकता है संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी। की कार्रवाई

जो तर्क और प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। ए की कार्यप्रणाली " सरकार का लोकतांत्रिक रूप समानता और अनुपस्थिति की मांग करता है।

मनमानेपन और भेदभाव "। कानून का शासन निषेध करता है

1) 6 एससीसी 508।

मनमाना कार्रवाई और संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार कार्य करने का आदेश देता है। राज्य या उसकी प्रत्येक कार्रवाई

नेपोटिज्म। यदि कोई निर्णय बिना किसी सिद्धांत या बिना किसी नियम के लिया जाता है, तो यह अप्रत्याशित है और ऐसा निर्णय इसके विपरीत है। कानून के शासन के अनुसार लिया गया निर्णय।

41. राज्य द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण में निहित शक्ति होनी चाहिए

विशाल जनता में प्रयोग किए जाने वाले कर्तव्य के साथ एक न्यास के रूप में देखा जाता है

और सामाजिक हित। शक्ति का प्रयोग कड़ाई से किया जाना चाहिए

किसी मामले के वैधानिक प्रावधान और तथ्य स्थिति। सार्वजनिक

अधिकारी निहित शक्तियों के साथ तेजी से और ढीला नहीं खेल सकते हैं

उन्हें "। मनमाने तरीके से लिया गया निर्णय इसके विपरीत है वैध अपेक्षा का सिद्धांत। एक प्राधिकरण एक कानूनी के तहत है

उस उद्देश्य को प्रभावी बनाना जिसके लिए शक्ति प्रदान की गई थी। इसमें संदर्भ में, "सद्भावना में" का अर्थ है "वैध कारणों से"। इसे होना ही चाहिए।

इस उद्देश्य के लिए ईमानदारी से प्रयोग किया जाए और किसी अन्य के लिए नहीं।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि मूल सिद्धांत वैध है।

टेशन उन तरीकों में से एक है जिसमें गैर-मनमानेपन की गारंटी है।

अनुच्छेद 14 के तहत ठोस अभिव्यक्ति मिलती है।

एच. 6. झारखंड राज्य ने उम्मीदों को तोड़ा

43. वर्तमान मामले में उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए,

प्रस्तुतिकरण में किसी भी सार को समझने में असमर्थ हैं जिसका उच्च न्यायालय के समक्ष बचाव में आग्रह किया गया था। न केवल किया

वर्तमान मामले में एक गंभीर अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, यह एसेंटेशन को प्रोत्साहित करने की अपनी घोषित इच्छा पर स्थापित किया गया था।

राज्य में परीक्षण। नीति दस्तावेज में लिखा था:

प्रोत्साहनों की प्रकृति;

((i) (11) वह अवधि जिसके दौरान प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे;

और

(iii)

वह समय सीमा जिसके भीतर अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी

राज्य सरकार द्वारा अपने विभागों के माध्यम से

औद्योगिक नीति 2012 को लागू करना।

झारखंड राज्य बनाम। ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

44. राज्य द्वारा उपरोक्त शर्तों में एक गंभीर प्रतिनिधित्व रखने के बाद, उद्योगों को वंचित करना स्पष्ट रूप से अनुचित और मनमाना होगा।

राज्य के भीतर अपनी वैध पात्रता की इकाइयाँ। राज्य सरकार ने

वास्तव में, धारा 9 के तहत एक वैधानिक अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन 8 जनवरी 2015 से संभावित रूप से ऐसा करके इसने प्रतिनिधित्व की प्रकृति को नकार दिया, जिसे औद्योगिक नीति 2012 में रखा गया था। अधिसूचना जारी करने में देरी के लिए उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष नीति या जनहित के कारणों से संबंधित कोई औचित्य नहीं दिया गया है। दलीलें सरकार की ओर से देरी के कारणों पर पूरी तरह से चुप हैं और औद्योगिक नीति 2012 में रखे गए अभ्यावेदन की शर्तों के विपरीत छूट को संभावित बनाने के लिए कोई औचित्य प्रदान नहीं करती हैं।

45. राज्य के लिए यह कहना एक बात है कि रिट याचिकाकर्ता को कोई निहित अधिकार नहीं था, लेकिन राज्य के लिए यह कहना बिल्कुल अलग है कि वह औद्योगिक नीति 2012 में परिकल्पित अवधि के भीतर छूट अधिसूचना को प्रभावी नहीं करने के अपने कारणों का खुलासा करने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है। राज्य की जवाबदेही और नीतिगत दस्तावेज के संदर्भ में उसके द्वारा किए गए गंभीर दायित्व दोनों ही राज्य शक्ति की ऐसी धारणा को स्वीकार करने के खिलाफ हैं। राज्य को इस औपनिवेशिक धारणा को त्याग देना चाहिए कि यह एक संप्रभु है जो अपनी इच्छानुसार धन देता है। इसकी नीतियां वैध अपेक्षाओं को जन्म देती हैं कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में जो कुछ भी प्रस्तुत करता है उसके अनुसार कार्य करेगा। अपने सभी कार्यों में, राज्य निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य है। यह मनमाने ढंग से राज्य की कार्रवाई के खिलाफ गारंटी की एक प्राथमिक आवश्यकता है जो अनुच्छेद 14 संविधान अपनाता है। निजी नागरिकों और निजी व्यवसाय की पात्रता से वंचित होना सार्वजनिक हित में आधारित आवश्यकता के समानुपाती होना चाहिए। राज्य शक्ति की इस अवधारणा को इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक सुसंगत पंक्ति में मान्यता दी गई है। एक उदाहरण के रूप में, हम राष्ट्रीय भवनों में इस न्यायालय की टिप्पणियों को निकालना चाहेंगे।

निर्माण सुधार (ऊपर):

" देश के मामलों के प्रशासन में सरकार और उसके विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नीति या इरादे के बयानों का सम्मान करें और नागरिकों के साथ विवेक के दुरुपयोग के बिना पूर्ण व्यक्तिगत विचार के साथ व्यवहार करें। नीति विवरणों को अनुचित तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है या चुनिंदा रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। अनुचितता के रूप में अन्याय प्राकृतिक उल्लंघन के समान है।

न्याय।

"[2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46. इसलिए, यह स्पष्ट है कि राज्य ने औद्योगिक के तहत प्रतिवादी और इसी तरह स्थित औद्योगिक इकाइयों को एक अभ्यावेदन दिया था

नीति 2012। इस प्रतिनिधित्व ने उनकी ओर से एक वैध उम्मीद को जन्म दिया, कि उन्हें अगले पांच वर्षों के लिए बिजली शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट/कटौती की पेशकश की जाएगी। हालांकि, निर्धारित समय के भीतर एक अधिसूचना जारी करने में विफलता और केवल संभावित रूप से छूट देने के कारण, राज्य में अपेक्षा और विश्वास का उल्लंघन हुआ। चूंकि राज्य ने अधिसूचना जारी करने में देरी के लिए कोई औचित्य नहीं बताया है, या इसके सार्वजनिक होने के कारण बताए हैं हमारा मानना है कि राज्य द्वारा इस तरह की कार्रवाई मनमाना है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

एच. 7. दावे का तकनीकी बचाव

(i) अनुच्छेद 226 का आकलन और सहारा लेना।

47. हम प्रत्यर्थी द्वारा अपने मूल्यांकन में दाखिल नहीं किए जाने की तकनीकीताओं पर राज्य के निवेदन से प्रभावित नहीं हुए हैं।

वापसी, बिजली शुल्क से छूट का दावा। महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि धारा 9 के तहत कोई छूट अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, इसलिए उषा मार्टिन लिमिटेड द्वारा शुरू में उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। रिट याचिका के परिणामस्वरूप, 8 जनवरी 2015 को एक छूट अधिसूचना जारी की गई थी। अब यह सही है कि वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के मामले में, मूल्यांकन के आदेश 8 को पारित किए गए थे। दिसंबर 2015 और 16 दिसंबर 2016, जो छूट अधिसूचना की तारीख के बाद था। हालाँकि, तथ्य यह है कि जब तक छूट अधिसूचना में संभावित प्रभाव देने वाला खंड जारी रहा, तब तक निर्धारण अधिकारी कानून के एक घटक के रूप में छूट की शर्तों को लागू करने के लिए बाध्य था और तदनुसार 8 जनवरी 2015 से पहले की अवधि के लिए किसी भी छूट से इनकार कर दिया। प्रतिवादी के लिए जो एकमात्र उपाय उपलब्ध था, वह छूट अधिसूचना की शर्तों को चुनौती देना था जो उसने अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही शुरू करके की थी।

((ii) विलम्ब का तर्क

48. अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत करने का गंभीर प्रयास किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं में ऐसा नहीं होना चाहिए

2019 में स्थापित होने के बाद से उनका मनोरंजन किया जा रहा है। हालाँकि, उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वकील, भारुका ने अपनी प्रस्तुतियों के दौरान, सही आग्रह किया है कि झारखंड राज्य बनाम के समक्ष कार्यवाही के दौरान देरी का मुद्दा कभी नहीं उठाया गया है।

ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका में एक आधार के रूप में उठाया गया। पटना उच्च न्यायालय बनाम मदन मोहन प्रसाद 3 में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति जे. एम. पांचाल के माध्यम से बोलते हुए इस प्रकार निर्णय दियाः

" 19. अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि रिट याचिका प्रत्यर्थी 1 द्वारा 10-11-1990 पर दायर की गई थी, अर्थात सेवा से सेवानिवृत्त होने के सात साल बाद, और इसलिए, रिट याचिका को देरी के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विवादित निर्णय कहीं भी यह नहीं दर्शाता है कि इस तरह के एक बिंदु पर अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया था

उच्च न्यायालय के समक्ष। एसएलपी के ज्ञापन में कोई शिकायत नहीं की गई है कि उच्च न्यायालय के समक्ष देरी और अड़चनों के बारे में तर्क दिया गया था, लेकिन जब विवादित फैसला दिया गया था तो उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था।

इसके अलावा, श्री भारुका ने प्रस्तुत किया है कि एक बार उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की रिट याचिका को गुण-दोष के आधार पर कानूनी रूप से टिकाऊ माना है,

इस न्यायालय को केवल विलंब और बाधाओं के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका समर्थन दयाल सिंह बनाम भारत संघ 3 7 में इस न्यायालय के फैसले में मिलता है, जहां तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा के माध्यम से बोलते हुए इस प्रकार निर्णय दियाः

" 41. यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थियों ने आठ साल की अवधि के बाद एक रिट याचिका दायर की थी, जिस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। मुख्य रूप से विलंब और विलंब का प्रश्न एक ऐसा मामला है जिस पर रिट अदालत द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। एक बार जब रिट अदालत ने प्रतिवादियों की ओर से देरी और अड़चनों के बावजूद अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर लिया है, तो इस स्तर पर यह हमारे लिए नहीं है कि हम विशेष रूप से उस आधार पर उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दें। जब हम पाते हैं कि
विवादित निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ है।

श्री भरुका का यह कहना भी सही है कि राज्य संभवतः यह तर्क नहीं दे सकता है कि देरी के परिणाम के कारण उसने अपनी स्थिति में बदलाव किया है।

अपने नुकसान के लिए स्थिति। न ही यह ऐसा मामला है जहां रिट कार्यवाही शुरू करने में देरी के परिणामस्वरूप तीसरे पक्ष प्रभावित हो सकते हैं। इस निवेदन को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम डॉली दास 38 में समर्थन मिलता है, जहां दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू के माध्यम से बोलते हुए इस प्रकार उल्लेख कियाः

36 (2011) 9 एससीसी 65।

37 (2003) 2 एससीसी 593। 38 (1999) 4 एससीसी 450।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 8. जहाँ तक रिट याचिका दायर करने में प्रत्यर्थी की अड़चनों के बारे में विवाद का संबंध है, देरी, अपने आप में, राहत के दावे को विफल नहीं कर सकती है जब तक कि अपीलार्थी की स्थिति में इतना बदलाव नहीं किया गया था जिसे समय बीतने या दूसरे पक्ष की निष्क्रियता के कारण वापस नहीं लिया जा सकता है। यह पहलू इस पर निर्भर है कि

मामले के तथ्यों की जांच और इस तरह का विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया है, यह नहीं होगा

अपीलार्थियों को हमारे सामने पहली बार इस तरह का विवाद उठाने की अनुमति देना उचित है। इसके अलावा, हम देख सकते हैं कि जिस अवधि के लिए नवीनीकरण का विकल्प प्रयोग किया गया है, वह समाप्त नहीं हुआ है। ऐसी अवधि के निर्वाह के दौरान निश्चित रूप से प्रत्यर्थी शिकायत कर सकता था कि विकल्प का ऐसा प्रयोग अपीलार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं था और इसलिए, उच्च न्यायालय की अधिकारिता को बाद के चरण में भी लागू किया जा सकता है। इसके अलावा, राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में इस देरी के कारण अपीलार्थियों को किसी भी तरह से अनुचित कठिनाई नहीं होती है।

मामले के इस दृष्टिकोण में, हम केवल देरी के आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं जब निर्णय कानूनी रूप से स्थायी सिद्धांतों पर आधारित होता है। जब तक राज्य की स्थिति में इतना बदलाव नहीं किया गया है कि समय बीतने या रिट याचिकाकर्ता की निष्क्रियता के कारण इसे वापस नहीं लिया जा सकता है, तब तक रिट याचिका दायर करने में प्रतिवादी की देरी से दावा विफल नहीं होना चाहिए। यदि प्रत्यर्थी को राहत दी जानी है तो राज्य ने वर्तमान मामले में न तो अनुरोध किया है और न ही कोई कठिनाई का तर्क दिया है। अंत में, भाईलाल भाई (ऊपर) और सुगनमल (ऊपर) में निर्णय एक याचिकाकर्ता से संबंधित हैं जो अवैध रूप से एकत्र किए गए कर की वापसी की मांग कर रहा है। वर्तमान मामले में, हम ऐसी स्थिति से चिंतित नहीं हैं। बल्कि, याचिकाकर्ता राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन के कारण इस न्यायालय के समक्ष आया है जिसके कारण उनकी वैध अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई है।

((iii) अन्यायपूर्ण संवर्धन की रक्षा

49. न ही अदालत अन्यायपूर्ण संवर्धन की याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है-उच्च न्यायालय ने शुल्क के भुगतान के बाद से धनवापसी का आदेश नहीं दिया है। भुगतान किया। प्रत्यर्थी को दिए गए अतिरिक्त शुल्क के समायोजन से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य का यह निवेदन कि उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी द्वारा इस बारे में कोई दलील नहीं दी गई थी कि क्या छूट/कटौती के रूप में दावा की जा रही राशि प्रत्यर्थी द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई थी, तथ्यात्मक रूप से गलत है। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में, प्रतिवादी ने विशेष रूप से जोर देकर कहा कि अंतर राशि का भार झारखंड राज्य बनाम।

ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

राज्य द्वारा प्रत्यर्थी से इसमें महसूस किया गया शुल्क प्रत्यर्थी द्वारा अपने ग्राहकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या अन्य तरीके से दिया जाता था। प्रत्यर्थी की याचिका में अभिवचन का प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैः

" 41. कि, इस स्तर पर, यह अत्यंत विनम्रता से कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि यदि बिजली शुल्क की 50 प्रतिशत राशि याचिकाकर्ता को वापस कर दी जाती है, तो इससे याचिकाकर्ता के हाथों में अन्यायपूर्ण संवर्धन नहीं होगा क्योंकि याचिकाकर्ता ने बिजली शुल्क की अंतर राशि का बोझ नहीं डाला है, जो इसके द्वारा प्राप्त किया गया है।

प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता की ओर से अपने ग्राहकों को भी बताएँ

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य तरीके से।

42. कि यह सबसे विनम्रता से कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि विचाराधीन अवधि के लिए बिजली शुल्क का 100% से प्राप्त किया गया है

प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता-झारखंड राज्य और इस प्रकार, बिजली शुल्क का अतिरिक्त 50 प्रतिशत याचिकाकर्ता द्वारा अपनी जेब से वहन किया गया है और इसका बोझ याचिकाकर्ता द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है। अपने ग्राहकों के लिए याचिकाकर्ता।

43. यह बहुत विनम्रता से कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता स्पंज आयरन और एम. एस. बिलेट का निर्माता है और उक्त वस्तु की कीमत बाजार द्वारा संचालित है और बाजार द्वारा नियंत्रित है। याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई बिजली शुल्क की राशि अपनी जेब से थी जो बिक्री पर याचिकाकर्ता के सकल लाभ को प्रभावित कर रही थी।

अपने अंतिम उत्पाद से। यहाँ यह स्पष्ट रूप से दोहराया गया है कि बिजली की मात्रा का बोझ याचिकाकर्ता द्वारा नहीं डाला गया है।

अपने ग्राहकों के लिए। नौ न्यायाधीशों की पीठ पर याचिकाकर्ता की निर्भरता के संबंध में

मफतलाल इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) मामले में हम अपने और चार अन्य विद्वान न्यायाधीशों के लिए न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी की बहुमत की राय में निम्नलिखित शब्दों में अभिनिर्धारित करना चाहेंगेः

“ 108 (iii)। धनवापसी का दावा, चाहे वह उपरोक्त प्रस्ताव (i) में अनुध्यात अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया हो या उपरोक्त प्रस्ताव (ii) द्वारा अनुध्यात स्थितियों में किसी वाद या रिट याचिका में किया गया हो, केवल तभी सफल हो सकता है जब याचिकाकर्ता/वादी आरोप लगाता है और यह स्थापित करता है कि उसने कर्तव्य का बोझ किसी अन्य व्यक्ति/अन्य व्यक्तियों पर नहीं डाला है। उसके धनवापसी दावे की अनुमति/आदेश केवल दिया जाएगा। जब वह यह स्थापित करता है कि उसने कर्तव्य का बोझ या उस हद तक नहीं दिया है, जिस हद तक वह इस तरह से पारित नहीं हुआ है, जैसा भी मामला हो।

कर्तव्य का भार वहन कर दिया गया है, दावेदार यह नहीं कह सकता है कि उसे कोई वास्तविक नुकसान या पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है। ऐसे मामले में वास्तविक नुकसान या पूर्वाग्रह उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है जिसने अंततः बोझ उठाया है और यह केवल वही व्यक्ति है जो वैध रूप से इसके धनवापसी का दावा कर सकता है। लेकिन जहां ऐसा व्यक्ति आगे नहीं आता है या जहां किसी न किसी कारण से उसे राशि वापस करना संभव नहीं है, यह उचित और उचित है कि उस राशि को राज्य द्वारा, यानी लोगों द्वारा रखा जाए। इस तरह के प्रस्ताव में कोई अनैतिकता या अनुचितता शामिल नहीं है। अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत एक न्यायपूर्ण और हितकारी सिद्धांत है। कोई भी व्यक्ति दोनों तरफ से शुल्क लेने की कोशिश नहीं कर सकता है। अन्य में

अर्थात्, वह अपने खरीदार से एक छोर पर शुल्क एकत्र नहीं कर सकता है और राज्य से भी वही शुल्क इस आधार पर एकत्र नहीं कर सकता है कि यह उससे कानून के विपरीत एकत्र किया गया है। न्यायालय की शक्ति का उपयोग किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में, जैसा कि हम पहले मान चुके हैं, वर्तमान प्रतिवादी ने उपरोक्त वाक्यांश को लागू करने के लिए दोनों छोरों से बिजली शुल्क नहीं लिया। नतीजतन, यह सिद्धांत मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। 50. इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 3 9 में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी के माध्यम से बोलते हुए, निम्नलिखित शब्दों में अन्यायपूर्ण संवर्धन के तत्वों को रेखांकित कियाः

" 152. " न्यायालय द्वारा "अन्यायपूर्ण संवर्धन" को दूसरे के नुकसान के लिए एक लाभ के अन्यायपूर्ण प्रतिधारण, या न्याय या समानता और अच्छे विवेक के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ दूसरे के धन या संपत्ति के प्रतिधारण के रूप में परिभाषित किया गया है। एक व्यक्ति समृद्ध होता है यदि उसे कोई लाभ प्राप्त होता है, और वह अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध होता है यदि लाभ को बनाए रखना अन्यायपूर्ण होगा। एक व्यक्ति का अन्यायपूर्ण संवर्धन

यह तब होता है जब उसके पास धन या लाभ होते हैं जो न्याय और समता में दूसरे के होते हैं।

39 (2011) 8 एससीसी 161।

झारखंड राज्य बनाम। ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस परिभाषा को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, सिद्धांत

अन्यायपूर्ण संवर्धन को आकर्षित किया जा सकता था यदि प्रतिवादी ने अपने ग्राहकों को बिजली शुल्क दिया होता और फिर उसे बरकरार रखा होता

अपनी जेब में 50 प्रतिशत छूट के कारण धनवापसी। यह तथ्यात्मक स्थिति के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है और इसलिए, प्रतिवादी को सिद्धांत के अनुप्रयोग पर राहत से इनकार नहीं किया जा सकता है।

I. निष्कर्ष

51. संकीर्ण मुद्दा यह है कि क्या प्रत्यर्थी एक का हकदार है

बिजली शुल्क से छूट/कटौती जिसका उत्तर में दिया गया है

सकारात्मक। हालाँकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रतिवादी वित्त वर्ष 2011-12 के लिए छूट/कटौती का हकदार नहीं होगा। औद्योगिक नीति 2012 के खंड 35.7 (बी) के संदर्भ में, पात्रता उत्पादन शुरू होने के बाद के वित्तीय वर्ष से आती है। उत्तरदाता ने 17 अगस्त 2011 को उत्पादन शुरू किया। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए करनी होगी। अंत में, हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि प्रतिवादी बिजली शुल्क से छूट का हकदार था, हालांकि इस निर्णय में बताए गए कारणों से। इसके अलावा, दी गई राहत वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 तक ही सीमित रहेगी। अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

52. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपी

लों का निपटारा किया गया।